

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



टीडीएस/टीसीएस योजनाओं का कार्यान्वयन

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2017 की प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु

टीडीएस/टीसीएस योजनाओं का कार्यान्वयन
पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर
2017 की प्रतिवेदन सं. 4

लोक सभा/राज्य सभा के समक्ष _____ को प्रस्तुत

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन.....	i
कार्यकारी सार.....	iii-v
सिफारिशों का सार.....	vi-vii
अध्याय 1: प्रस्तावना.....	1-6
अध्याय 2: टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के क्रियान्वयन में प्रभावकारिता...7-19	
अध्याय 3: टीडीएस/टीसीएस आधार का विस्तार.....	21-27
अध्याय 4: ई-टीडीएस योजना का कार्यान्वयन.....	29-35
अध्याय 5: लेखांकन के मामले	36-41
परिशिष्ट.....	43-49
शब्दावली.....	50-51

प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2012-13 से 2014-15 में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत टीडीएस/टीसीएस योजनाओं के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो 2012-13 से 2014-15 की अवधि हेतु नवम्बर 2015 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गयी।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-राजस्व विभाग से प्राप्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है।

कार्यकारी सार

स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) और स्रोत पर संग्रहीत कर (टीसीएस) आयकर विभाग (आईटीडी) के पास वह साधन हैं जिन्हें करदाताओं से सरकार को देय कर के तुरन्त और कारगर संग्रहण के लिए बनाया गया है। टीडीएस और टीसीएस सरकार को लेनदेन के समय ही राजस्व संग्रहण और कर अपवंचन रोकना सुनिश्चित करने में सरकार की सहायता करते हैं।

टीडीएस/टीसीएस संग्रहण के नियमित अन्तर्वाह से सरकारी खातों में राजस्व का अच्छा प्रवाह सुनिश्चित होता है और राजकोष के प्रबन्धन में सहायता मिलती है। टीडीएस/टीसीएस प्रावधान करदाताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के ऊपर पर भी कटौती और कर जमा करने का उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं।

हमने टीडीएस/टीसीएस योजनाओं के कार्यान्वयन पर यह मूल्यांकन करने के उद्देश्य से निष्पादन लेखापरीक्षा किया (क) टीडीएस/टीसीएस से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में सभी हितधारकों की प्रभावकारिता; (ख) टीडीएस/टीसीएस नेटवर्क में विस्तार करने के लिए आयकर विभाग द्वारा किए गए प्रयास; (ग) ई-टीडीएस योजना का कार्यान्वयन; और (घ) टीडीएस/टीसीएस में लेखाकरण प्रक्रिया की सटीकता।

हमने शामिल किया (i) कर कटौतीकर्ताओं द्वारा दाखिल टीडीएस विवरणियों पर तत्संबंधी निर्धारण अधिकारी (टीडीएस) द्वारा प्रसंस्कृत सत्यापन आदेश (ii) वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रसंस्कृत/समाप्त निर्धारिती द्वारा दाखिल आयकर विवरणी पर क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा पूर्ण किए गए निर्धारण आदेश तथा चयनित 150 टीडीएस सर्कल/वार्डों में से कुल 7,489 सत्यापन आदेशों का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए किया गया था। हमने उसी अवधि के लिए टीडीएस प्रावधानों से संबंधित निर्धारण प्रभारों में क्षेत्राधिकारी एओ द्वारा पूर्ण किए 2,332 निर्धारण आदेशों का भी सत्यापन किया। हमने नवम्बर 2015 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ एट्री कांफ्रेंस किया जिसमें हमने लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा जांच के मुख्य क्षेत्रों की व्याख्या की। हमने मंत्रालय के उत्तरों के प्रति लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए दिसम्बर 2016 में सीबीडीटी के साथ एक्जिट कांफ्रेंस किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार:

क. हमने 168 मामले देखे जहां, एओ (टीडीएस) कर कटौतीकर्ताओं की चूक पर धारा 201(1ए)/206सी(7) के तहत ₹ 902.16 करोड़ राशि का ब्याज लगाने में विफल रहा। हमने कर कटौतीकर्ताओं के प्रति धारा 271सी/271सीए तथा 276बी/276बीबी/278ए के तहत जुर्माना और अभियोग न लगाने के क्रमशः 311 मामले और 343 मामले देखे। हमने 128 मामलों में देखा कि एओ ने व्यय को गैर अनुमत नहीं किया जबकि स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी या कटौती की गई थी लेकिन निर्धारिती द्वारा जमा नहीं कराई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,026.42 करोड़ कर की कम उगाही हुई। 108 मामलों में, हमने देखा कि कटौतीकर्ता अचल संपत्ति की बिक्री पर स्रोत पर कटौती करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.69 करोड़ के स्रोत पर कर की कटौती नहीं हुई/कम हुई। हमने 369 मामलों में निर्धारण इकाइयों और टीडीएस इकाइयों के बीच समंवय की कमी भी देखी जहां अधिनियम के विभिन्न टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सूचना साझा नहीं की जा रही थी। हमने 27 मामले देखे जहां एओ नियमित निर्धारण के दौरान उपलब्ध निर्धारिती की आय की सूचना का उपयोग करने में विफल रहे (पैराग्राफ 2.2 से 2.8)।

ख. हमने देखा कि सीबीडीटी द्वारा टीडीएस विवरणियों के सत्यापन के चयन हेतु मापदण्ड नहीं बनाए गए थे। हमने पाया कि लगभग 50 प्रतिशत से अधिक आयकर आयुक्त (टीडीएस) प्रभारों में सर्वेक्षण किए जाने हेतु वार्षिक लक्ष्य संख्या या तो निर्धारित नहीं की गई थी/उपलब्ध नहीं थी अथवा शून्य थी और सर्वेक्षण करने के लिए लक्ष्य निर्धारण के प्रति आईटीडी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं था। हमने यह भी देखा कि आईटीडी कर कटौतीकर्ताओं को “कर कटौती/संग्रहण खाता संख्या” (टैन) आबंटित करने से पूर्व पर्याप्त “अपने ग्राहक को जानिये” (केवाईसी) नहीं कर रहा था और इसलिए सभी टीडीएस चूककर्ताओं का पता लगाने में समर्थ नहीं था (पैराग्राफ 3.3 से 3.5)।

ग. हमने देखा कि निहित टीडीएस राशि के साथ-साथ चालानों की संख्या के संदर्भ में अप्रयुक्त चालानों की संख्या बहुत अधिक थी और सभी एओ द्वारा अप्रयुक्त चालानों की टैगिंग का उपयोग नहीं किया जा रहा था। हमने यह भी देखा कि निपटानयोग्य मांग की वसूली हेतु केंद्रीय प्रक्रमण सेल (टीडीएस) पर एओ (टीडीएस) हेतु उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग न करने तथा

कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्ट से चूक को दूर करने की संख्या बहुत अधिक थी (पैराग्राफ 4.2 से 4.4)।

घ. हमने पाया कि फार्म 24जी में राज्य सरकार एकाउंट ऑफिस आइडेण्टीफिकेशन नम्बर (एआईएन) द्वारा बताई गई राशि राज्य के महालेखाकारों द्वारा बताई गई राशि से बहुत भिन्न थी जो सरकारी कटौतीकर्ता के आनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (जी-ओल्टास) का गैर-मिलान दर्शाती है। हमने पाया कि 18,703 एआईएन धारक द्वारा फार्म 24जी विलम्ब से दिया गया था। हमने पाया कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान 19.3 प्रतिशत एआईएन निष्क्रिय थे और सरकारी चूककर्ताओं के मामले में चूक उसी अवधि के दौरान सभी श्रेणी के कटौतीकर्ताओं द्वारा कुल चूक का 42.3 प्रतिशत था (पैराग्राफ 5.2 से 5.5)।

सिफारिशों का सार

❖ निर्धारण और टीडीएस इकाइयों के बीच सूचना का साझाकरण

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी टीडीएस इकाइयों और तत्संबंधी क्षेत्राधिकरण निर्धारण इकाइयों के बीच सूचना का साझाकरण सुनिश्चित करे ताकि राजस्व प्राप्त प्रयासों में तालमेल हो सके।

❖ टीडीएस विवरणियों के सत्यापन हेतु मानदंड

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी सत्यापन हेतु टीडीएस विवरणियों के चयन हेतु प्रक्रिया और मानदंड निर्धारित कर सकता है।

❖ टीडीएस इकाइयों द्वारा आयोजित सर्वेक्षण

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी अपने सीआईटी (टीडीएस) प्रभागों के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षणों के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें तथा सभी टीडीएस इकाइयों में सर्वेक्षण किए जाएं और तत्पश्चात कर क्षेत्र में कवर न किए गए कटौतीकर्ताओं को शामिल करके कर आधार के विस्तारण हेतु समय पर अंतिम रूप दिया जाए।

❖ अपने ग्राहक को जानिये

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी 'केवाईसी' में अपर्याप्तताओं की जाँच कर सकता है तथा पर्याप्त 'केवाईसी' के बिना आयकर विभाग टैन जारी ना करे ताकि कर चूककर्ताओं का पता लगाया जा सके।

❖ अप्रयुक्त चालान, निपटानयोग्य माँग और कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्ट

- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि सभी एओज़ अप्रयुक्त चालान, निपटानयोग्य माँग की वसूली और कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्ट से चूकों के समाधान के मामलों को संबोधित करने के लिए सीपीसी (टीडीएस) पोर्टल में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी निपटानयोग्य माँग की जल्द वसूली के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है चूँकि यह किसी भी विवाद से मुक्त है।

- ❖ **राज्य सरकार एआईएन और राज्य महालेखाकारों द्वारा बताए गए टीडीएस का मिलान**
 - हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी राज्य महालेखाकार (एजी) द्वारा सूचित कर भुगतान और फार्म 24जी के माध्यम से एआईएन धारक द्वारा सूचित किये गये टीडीएस का पुनर्मिलान सुनिश्चित कर सकता है।
- ❖ **फार्म 24जी**
 - हमने सिफारिश की कि सीबीडीटी एआईएन धारकों द्वारा फार्म 24जी को फाईल करने में बेहतर अनुपालन के लिए कदम उठा सकता है ताकि समय पर तिमाही विवरण फाईल करने में डीडीओ को सक्षम बनाया जा सके।
- ❖ **निष्क्रय एआईएन धारक**
 - हमने सिफारिश की कि आईटीडी निष्क्रय एआईएन धारकों के लिए कारणों की समीक्षा कर सकता है और फार्म 24जी के प्रस्तुतीकरण की बेहतर निगरानी के लिए उन्हें हटा सकता है जो अब लेखा अधिकारी का कार्य नहीं कर रहे हैं।

अध्याय 1

प्रस्तावना


1.1 संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व शामिल है। सरकार द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों में निगम कर, आय कर और अन्य प्रत्यक्ष कर शामिल है। निर्धारण से पूर्व संग्रहित प्रत्यक्ष करों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:-

- (i) स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस),
- (ii) स्रोत पर संग्रहित कर (टीडीएस),
- (iii) अग्रिम कर और
- (iv) स्वतः निर्धारण कर

टीडीएस और टीसीएस आय कर विभाग (आईटीडी) के पास वह साधन हैं जिन्हें कर दाताओं से सरकार को देय कर के तुरन्त और कारगर संग्रहण के लिए बनाया गया है। टीडीएस और टीसीएस सरकार को संव्यवहार के समय ही राजस्व को संग्रहण और कर अपवचन से रोकना सुनिश्चित करने में सरकार की सहायता करते हैं। टीडीएस/टीसीएस संग्रहण के नियमित अन्तर्वाह से सरकारी खातों में राजस्व का अच्छा प्रवाह सुनिश्चित होता है, और राजकोष के प्रबन्धन में सहायता मिलती है। टीडीएस/टीसीएस प्रावधान करदाताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के कंधों पर भी कटौती और कर जमा कर उत्तरदायित्व डालते हैं।

1.2 संगठनात्मक संरचना और कार्य

आयकर विभाग में आय कर अधिनियम के टीडीएस/टीसीएस से संबंधित प्रावधानों को शासित करने के लिए एक समर्पित संरचना है जिसमें एक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त है जिसकी सहायता आयकर आयुक्त/अतिरिक्त आयकर आयुक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त/उप आयकर आयुक्त/सहायक आयकर आयुक्त और आयकर अधिकारी करते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में सदस्य (राजस्व) टीडीएस प्रावधानों के प्रशासन और कार्यान्वयन के मानीटर और उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। अन्य बातों के साथ साथ, टीडीएस के कार्यों में सर्वेक्षण द्वारा नए कर कटौतीकर्ताओं की पहचान और कर आधार मजबूत करने के लिए फाइल करना बंद करने वालों/गैर फाइलरों का पता लगाना है। चार्ट 1.1 आयकर विभाग की संरचना दर्शाता है।

चार्ट 1.1: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की संरचना**1.3 हमने यह विषय क्यों चुना**

टीडीएस/टीसीएस संग्रहण में नियमित वृद्धि हुई है जिसने कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण में लगभग 33 प्रतिशत का अंशदान दिया है। टीडीएस/टीसीएस संग्रहण वित्तीय वर्ष (विव) 2010-11 में ₹ 1.69 लाख करोड़ से बढ़ कर विव 2014-15 में ₹ 2.59 लाख करोड़ हो गया, इसमें इस अवधि के दौरान 53.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विस्तृत विवरण नीचे तालिका 1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान संग्रहण			(₹ करोड़ में)
विव	कुल संग्रहण (निगम कर और आय कर)	टीडीएस/टीसीएस	कुल संग्रहण की प्रतिशतता के रूप में टीडीएस/टीसीएस
2010-11	5,13,898	1,68,669	32.82
2011-12	5,79,499	1,98,679	34.28
2012-13	6,36,932	2,10,654	33.07
2013-14	7,21,604	2,48,547	34.44
2014-15	7,99,459	2,59,106	32.41

स्रोत-प्र.सीसीए-सीबीडीटी

हमने वर्षान्त मार्च 2006 के लिए टीडीएस/टीडीएस योजनाओं के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा की थी। हमारे मुख्य निष्कर्षों में अपर्याप्त सर्वेक्षण, ई-टीडीएस रिटर्न से संबंधित मामले और टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में कई त्रुटियों को उजागर किया गया था। चूकों की निरन्तरता को नियमित लेखापरीक्षाओं के दौरान उठाई गई आपत्तियों के सबूत के रूप में देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, 2006 में की गई पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा से टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों में परिवर्तन/संशोधन किए गए हैं जैसे (i) कोई भी व्यक्ति जो किसी अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है वह 1 जुलाई 2013 से एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती का जिम्मेदार है। (ii) 1 अप्रैल 2010 से अब कर दाता/कटौती वालों द्वारा कटौतीकर्ता को उसका पैन प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसकी विफलता में कटौतीकर्ता 20 प्रतिशत की दर से या लागू दर से जो भी अधिक हो स्रोत पर कर कटौती करेगा, (iii) धारा 197 (कम दर पर कटौती न करने/कटौती करने के लिए) के अन्तर्गत तब तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदन में आवेदक का पैन नहीं होगा इत्यादि। टीडीएस प्रशासन की मजबूती के लिए टीडीएस/टीसीएस के अनुपालन की प्रभावोत्पादकता पर आईटीडी द्वारा प्रारंभ किए गए उपायों का आंकलन आवश्यक माना गया था।

1.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था:

- क. टीडीएस/टीसीएस से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में सभी धारकों की प्रभावकारिता;
- ख. टीडीएस/टीसीएस जाल को विस्तृत करने के लिए आयकर विभाग द्वारा किए गए प्रयास;
- ग. ई-टीडीएस योजना का कार्यान्वयन; और
- घ. टीडीएस/टीसीएस में लेखाकरण प्रक्रिया की सटीकता।

1.5 कानूनी संरचना

आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय XVII-कर संग्रहण और वसूली टीडीएस और टीसीएस से संबंधित कानून और प्रक्रिया से संबंधित है।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कवरेज

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए नवम्बर 2015 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान (i) कर कटौतीकर्ताओं द्वारा दाखिल टीडीसी रिटर्नों पर संबंधित एओ (टीडीएस) द्वारा प्रसंस्कृत सत्यापित आदेशों और (ii) वित्तीय वर्ष (वि व) 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रसंस्कृत/पूर्ण निर्धारिती द्वारा दाखिल आय कर रिटर्न पर क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा पूर्ण निर्धारण आदेशों की नमूना जांच की गई थी।

1.6.1 टीडीएस यूनिटों में सत्यापन आदेशों के चयन के लिए:-

हमने प्रत्यक्ष कर संग्रहण की मात्रा के आधार पर राज्यों को दो समूहों, श्रेणी 'क'¹ और श्रेणी 'ख'² राज्यों में विभाजित किया। इसके अतिरिक्त, नमूना संग्रहण का विवरण नीचे दिया गया है:-

■ निष्पादन लेखापरीक्षा करते समय दो स्तरीय सांख्यिकीय नमूनाकरण का प्रयोग किया गया था।

स्तर-1-टीडीएस यूनिटों का चयन; और

स्तर-2-चयनित टीडीएस यूनिटों में सत्यापन आदेशों का चयन

■ टीडीएस यूनिटों का चयन:- श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' राज्यों में टीडीएस सर्किलों के लिए 100 प्रतिशत कवरेज किया गया था। टीडीएस वार्डों के लिए श्रेणी 'क' और 'ख' राज्यों के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत और 33.33 प्रतिशत कवरेज किया गया था जैसा परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है।

■ सत्यापन आदेशों का चयन:- चयनित टीडीएस यूनिट में लेखापरीक्षा के लिए टीडीएस सर्किलों के संबंध- में 100 प्रतिशत रिकार्ड और टीडीएस वार्डों के आदेश के 50 प्रतिशत को चुना गया था।

1.6.2 निर्धारण यूनिटों में निर्धारण आदेशों के चयन के लिए :-

■ टीडीएस प्रावधानों की प्रावधाकारिता की जांच के लिए नियमित लेखापरीक्षा के दौरान मुख्य/शाखा कार्यालयों के मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक के टर्नओवर के हमने 200/100 निर्धारण मामलों का चयन किया।

1.6.3 उपरोक्त के आधार पर, इस अध्ययन के लिए 150 चयनित टीडीएस सर्किलों/वार्डों में 7,489 सत्यापन आदेशों का चयन किया गया। इनमें से, 6,699 सत्यापन आदेश जो चयन का लगभग 90 प्रतिशत प्रतिनिधित्व थे, लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए थे। टीडीएस सर्किलों/वार्डों के बकाया सत्यापन आदेश लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अलावा, इसी अवधि के लिए टीडीएस प्रावधानों के संदर्भ में हम निर्धारण प्रभारों में क्षेत्राधिकारी एओ द्वारा पूर्ण 2,332 निर्धारण आदेशों का सत्यापन कर सके थे।

1 ₹ 15,000 करोड़ और उससे अधिक के प्रत्यक्ष कर संग्रहण वाले राज्य (आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश)।

2 ₹ 15,000 करोड़ से कम प्रत्यक्ष कर संग्रहण वाले राज्य (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड और यूपी चण्डीगढ़) ।

1.7 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने टीडीएस सर्किलों/वार्डों के सत्यापन मामलों और टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के अनुपालन में प्रभावकारिता के लिए निर्धारण प्रभारों की संवीक्षा निर्धारण की जांच की। लेखापरीक्षा ने अचल सम्पत्ति की स्रोत पर बिक्री खरीद पर कटौती योग्य कर का सत्यापन करने के लिए राज्यों के रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में अनुरक्षित सम्पत्ति पंजीकरण दस्तावेजों की भी नमूना जांच की (अध्याय-II)।

लेखापरीक्षा ने टीडीएस/टीसीएस आधार बढ़ाने के लिए आय कर विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की भी जांच की। कर कटौतीकर्ताओं की संख्या और दाखिल किए गए ई-टीडीएस रिटर्नों की संख्या के संबंध में सूचना सीपीसी (टीडीएस) से संग्रहित की गई थी। टीडीएस द्वारा सर्वेक्षण के संबंध में सूचना चयनित यूनिटों से संग्रहित की गई थी (अध्याय III)।

लेखापरीक्षा ने ई-टीडीएस योजनानों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों की जांच की। सूचना चयनित यूनिटों और सीपीसी (टीडीएस) से खर्च न किए गए चलानों, समाधेय मांग और कर चूककर्ता रिपोर्ट के लिए मानक परिचालित प्रक्रिया (एसओपी) के आधार पर मांगी गई थी। एओ (टीडीएस)के पास उपलब्ध सुविधाओं सीपीसी (टीडीएस) के एओ पोर्टल पर एओ (टीडीएस) की एओ नियमपुस्तिका से जांच की गई थी ताकि एओ पोर्टल के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की उपयोगिता का पता लगाया जा सके (अध्याय IV)।

लेखापरीक्षा ने जी-ओलटास मिलान के मामले की जांच की जिसके लिए सीबीडीटी के एसओपी के अनुपालन हेतु चयनित टीडीएस इकाईयों तथा सीपीसी (टीडीएस) से सूचना मांगी गई थी। राज्य के लिए टीडीएस संग्रहण की सूचना भी संबंधित राज्यों के महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त की गई (अध्याय V)।

सीबीडीटी के साथ 20 नवम्बर 2015 को एन्ट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा जांच के प्रमुख क्षेत्रों को विस्तृत किया गया था। सीबीडीटी को 08 नवम्बर 2016 को ड्राफ्ट प्रतिवेदन भेजी गई। लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों के लिए सीबीडीटी की प्रतिक्रिया 13 दिसम्बर 2016 को प्राप्त की गई। सीबीडीटी के साथ 15 दिसम्बर 2016 को एग्जिट कान्फ्रेंस की गई जिसमें प्रतिवेदन की चर्चा की गई। एग्जिट कान्फ्रेंस में बोर्ड द्वारा अभिव्यक्त मतों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.8 आभार

हम इस निष्पादन लेखापरीक्षा को करने के संदर्भ में लेखापरीक्षा अवलोकनो हेतु आवश्यक अभिलेखों तथा सूचना/प्रतिक्रिया प्रदान करके लेखापरीक्षा को सुविधाजनक बनाने में आईटीडी के सहयोग का आभार व्यक्त करते हैं। हम करो के संग्रहण से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए प्रधान सीसीए, सीबीडीटी के सहयोग का भी आभार व्यक्त करते हैं।

अध्याय 2

टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के क्रियान्वयन में प्रभावकारिता

2.1 यह अध्याय आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों तथा सुसंगत नियमों से संबंधित मामलों की चर्चा करता है। हमने टीडीएस/टीसीएस से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में सभी पणधारकों की प्रभावकारिता देखने के लिए निर्धारण प्रभारों के टीडीएस सर्कल/वार्डों तथा संवीक्षा निर्धारणों के सत्यापन मामलों की जांच की। हमने ₹ 2,952.27 करोड़ के कर प्रभाव वाले 1,481 मामलों में चूके पाई जिसकी चर्चा इस अध्याय में की गई है।

2.2 एओ (टीडीएस) द्वारा कर की गैर/कम कटौती/संग्रहण पर ब्याज लगाने में विफलता

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अधिनियम की धारा 201(1ए)/206सी(7) के संदर्भ में, ऐसे 168 मामले देखे गए जहां कर कटौतीकर्ता/संग्रहणकर्ता कर की गैर/कम कटौती तथा संग्रहण हेतु चूक में थे तथा इसीलिए वे ब्याज भुगतान के लिए दायी थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 902.16 करोड़ की ब्याज राशि सहित कर का संग्रहण नहीं हुआ/कम हुआ। ऐसे चार निदर्शी मामले बॉक्स 2.1 में दर्शाए गए हैं।

बॉक्स 2.1: एओ (टीडीएस) द्वारा कर की गैर/कम कटौती /संग्रहण पर ब्याज लगाने में विफलता से संबंधित निदर्शी मामले

अधिनियम की धारा 201(1) अनुबंधित करती है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी कर राशि की कटौती करना अपेक्षित है, कटौती नहीं करता या भुगतान नहीं करता या ऐसी कटौती करने के पश्चात कर को पूर्ण रूप से या एक भाग का भुगतान करने में विफल होता है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे कर के संदर्भ में एक चूककर्ता निर्धारित माना जाएगा। इसके अलावा, धारा 201(1ए) अनुबंधित करती है कि ऐसा व्यक्ति जब से ऐसा कर कटौती योग्य था तब से लेकर ऐसे कर की कटौती की जाने की तिथि तक ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक माह अथवा माह के भाग के लिए एक प्रतिशत पर तथा जब से ऐसे कर की कटौती की गई थी तब से लेकर ऐसे कर का वास्तव में भुगतान होने तक की तिथि तक ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक माह अथवा माह के एक भाग के लिए एक तथा डेढ़ प्रतिशत पर साधारण ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

क. दिल्ली में, सीआईटी (टीडीएस)-। प्रभार, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए मै. केएमपी एक्सप्रेसवेज लिमिटेड के सत्यापन आदेश मार्च 2014 में धारा 201(1)/201(2ए) के तहत पारित किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि निर्धारित कम्पनी ने सरकारी खाते के लिए ₹ 7.00 करोड़ पर कटौती किए गए कर को जमा नहीं किया था तथापि, आईटीडी ने टीडीएस जमा न करने के कारण धारा 201(1ए) के तहत ब्याज का उदग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 12.04 करोड़ कर को जमा नहीं किया गया। आयकर विभाग ने उत्तर दिया (मई 2016) कि सीआईटी (टीडीएस) ने धारा 201(1) के तहत पारित आदेश को खारिज करते हुए धारा 263 के तहत आदेश पारित किया।

ख. कर्नाटक में, सीआईटी (टीडीएस) प्रभार, वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए मै. किंगफिशर एयरलाइन लिमिटेड के सत्यापन आदेश को जुलाई 2014 में धारा 201(1)/201(1ए) के तहत पारित किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि आईटीडी ने धारा 201(1ए) के अन्तर्गत ₹ 10.22 करोड़ की बजाय ₹ 6.23 करोड़ पर ब्याज उदग्रहित किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.99 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ।

धारा 206सी(1) अनुबंधित करती है कि एक विक्रेता होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी मद के क्रेता से क्रेता के खाते के लिए क्रेता द्वारा देय राशि की कटौती करते समय अथवा नकद अथवा चेक या ड्राफ्ट में जारी करके या अन्य किसी प्रकार से कथित क्रेता से ऐसी राशि की प्राप्ति के समय जो भी पहले हो, पर आयकर के रूप में ऐसी राशि की निर्दिष्ट प्रतिशतता के समान राशि का संग्रहण करेगा। इसके अलावा, धारा 206सी(7) अनुबंधित करती है कि यदि कर संग्रहण करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करता अथवा कर के संग्रहण के पश्चात इस धारा के तहत अपेक्षित रूप में इसका भुगतान करने में विफल होता है तो वह जब से कर संग्रहण योग्य था तब से लेकर वास्तव में कर का भुगतान होने की तिथि तक ऐसी कर राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह अथवा उसके भाग की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग. कर्नाटक में, सीआईटी टीडीएस प्रभार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके दिनांक 01 सितम्बर 2011 के आदेश में गठित मॉनीटरिंग समिति (एमसी) ने ई-नीलामी के माध्यम से खनन पट्टों में लौह अयस्क तथा मेंगनीज अयस्क के मौजूदा स्टॉक, कर्नाटक के बेल्लारी, तुमकुर तथा चित्रदुर्ग के जिलों में स्टॉकयार्ड को बेचने का निर्देश दिया। एमसी ने वि.व. 2012-13

से 2014-15 तक के दौरान ₹ 17,310.00 करोड़ के लौह अयस्क की कुल बिक्री की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि न तो एमसी ने स्रोत पर कर संग्रहित किया न ही सीआईटी (टीडीएस), बेंगलोर ने स्रोत पर कर संग्रहण में एमसी की विफलता के प्रति आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की। इस चूक के परिणामस्वरूप स्रोत पर ₹ 173.10 करोड़ कर का संग्रहण नहीं हुआ।

घ. सीआईटी (टीडीएस) प्रभार, उडीसा में, लेखापरीक्षा ने उपनिदेशक खनन, जयपुर रोड (कर संग्रहणकर्ता) कार्यालय के अभिलेखों से यह पाया कि वि.व. 2012-13 से 2014-15 तक के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों के अलावा खनन पट्टों से रायल्टी के रूप में ₹ 718.56 करोड़ प्राप्त किए। यह पाया गया कि कर संग्रहणकर्ता ने 2012-13 की प्रथम तिमाही को छोड़कर सभी तिमाहियों के लिए कर संग्रहण विवरण फाइल नहीं किया। यह देखा गया कि कर संग्रहणकर्ता ने स्रोत पर ₹ 718.56 करोड़ पर कर संग्रहित नहीं किया था। इस चूक के फलस्वरूप ₹ 14.37 करोड़ के कर का संग्रहण नहीं हुआ।

विभाग द्वारा धारा 201(1ए)/206सी(7) के अन्तर्गत ब्याज के उदग्रहण कर की समय पर कटौती/संग्रहण तथा सरकारी खाते के अन्दर इसको जमा करने के संदर्भ में अनुपालन न होने के प्रति एक निवारक के रूप में कार्य करता है। एओ (टीडीएस) द्वारा चूकपूर्ण कर कटौतीकर्ताओं पर ब्याज का गैर/कम उदग्रहण प्रावधानों के क्रियान्वयन को कमजोर बनाता है।

2.3 शास्ति कार्रवाईयां आरम्भ करने की विफलता

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अधिनियम की धारा 271सी/271सीए के संदर्भ में ऐसे 311 मामले देखे गए जहां स्रोत पर कर की गैर-कटौती /संग्रहण के कारण कर कटौतीकर्ताओं के प्रति आईटीडी द्वारा शास्ति कार्रवाईयां आरम्भ नहीं की गईं। बॉक्स 2.2 में दो ऐसे निदर्शी मामले देखे गए हैं।

बॉक्स 2.2: शास्ति कार्रवाईयां आरम्भ करने की विफलता से संबंधित निदर्शी मामले

अधिनियम की धारा 271सी अनुबंधित करती है कि यदि कोई व्यक्ति अध्याय XVII-बी के प्रावधानों के तहत अपेक्षित रूप में सम्पूर्ण कर अथवा उसके एक भाग की कटौती करने अथवा धारा 194बी या धारा 115-ओ की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक द्वारा अथवा उसके तहत अपेक्षित रूप में कर के सम्पूर्ण या किसी भाग का भुगतान करने में विफल होता है तो ऐसा व्यक्ति उस कर की राशि के समान राशि का शास्ति के तरीके से भुगतान

करने हेतु दायी होगा जिसकी कटौती या भुगतान करने में वह विफल हुआ था। इसके अलावा, धारा 271सीए के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अध्याय XVII-बीबी के तहत अपेक्षित रूप में कर को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग के संग्रहण में विफल होता है तो ऐसा व्यक्ति उस कर जिसके संग्रहण में वह व्यक्ति विफल हुआ, की राशि के समान राशि का शास्ति के तरीके से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

क. महाराष्ट्र में, सीआईटी(टीडीएस) थाणे प्रभार, मै. ब्लू स्टार रियल्टर्स (प्रा.) लिमिटेड के मामले में, धारा 201(1)/201(1ए) के तहत नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 32.19 करोड़ के कर भुगतान पर 10 प्रतिशत के दर पर धारा 194ए के तहत कर की कटौती न करने के लिए फरवरी 2015 में ₹ 3.22 करोड़ की मांग का निर्धारण करने वाला एक आदेश पारित किया गया। हालांकि यह देखा गया कि शास्ति लगाने के लिए एओ द्वारा कार्रवाई नहीं की गई।

डीसीआईटी (टीडीएस) सर्कल, थाणे ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि शास्ति कार्रवाईयां आरम्भ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक प्रस्ताव भेजा गया था।

ख. दिल्ली में, सीआईटी-VI प्रभार, नि.व. 2011-12 के लिए मै. टरनर जनरल एन्टरटेन्मेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण मार्च 2014 में पूर्ण किया गया। निर्धारिती ने कर की कटौती न होने के कारण वापिस की गई आय में धारा 40(ए)(आईए) के तहत ₹ 54.49 करोड़ संकलित किए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि शास्ति लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा निर्धारिती को नोटिस जारी करके शास्ति कार्रवाईयां आरम्भ की।

आयकर अधिनियम में दंड प्रावधानों का प्रयोजन कानून का अनुपालन लागू करना तथा कर चूककर्ताओं के प्रति निवारक के रूप में कार्य करना है। अनुपालन न होने के ऐसे मामलों ने प्रावधानों के निवारक प्रभाव को दुर्बल किया।

2.4 अभियोजना कार्यवाही करने में विफलता

लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ (टीडीएस) ने 343 कटौतीकर्ताओं के प्रति धारा 276बी/276बीबी/278ए के प्रावधान का उपयोग नहीं किया जहां कर स्रोत से काटा/एकत्र किया गया था लेकिन अधिनियम के अंतर्गत अभियोजना कार्यवाही करने की नियत तिथि के अंदर जमा नहीं किया गया था। दो ऐसे उदाहरण बॉक्स 2.3 में दर्शाये गये हैं।

बॉक्स 2.3: अभियोजन कार्यवाही करने में विफलता से संबंधित निर्दर्श मामले

धारा 276बी/276बीबी या 278ए में प्रावधान है कि सभी मामले जहां टीडीएस/टीएससी काटा/एकत्र किया गया लेकिन निर्धारित अनुसार, नियत तिथि के अंदर जमा नहीं किया गया था कानून के तहत दण्डनीय है। कार्यवाही हेतु सीबीडीटी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, टीडीएस/टीसीएस चूक के मामले, जहां काटा गया/एकत्र कर की राशि एक लाख और अधिक है और उसे अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियत तिथि तक जमा नहीं किया गया है उस पर वसूली के अतिरिक्त अभियोजना हेतु अनिवार्य रूप से कार्यवाही की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, मामले जहां कर काटा गया/एकत्र किया गया कर ₹ 25,000 और ₹ एक लाख के बीच है और उसे नियत तिथि तक जमा नहीं किया गया उस पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अभियोजना हेतु कार्यवाही की जा सकती है। सीआईटी (टीडीएस), एओ (टीडीएस द्वारा) संदर्भित अभियोजना हेतु धारा 279(1) के अंतर्गत समझौते की मंजूरी देने के लिये सक्षम प्राधिकारी है।

क. आंध्र प्रदेश, सीआईटी (टीडीएस) प्रभार में, मैसर्स आईवीआरसीएल लिमिटेड के मामले जनवरी 2013 में वि.व. 2012-13 हेतु सर्वेक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त, सत्यापन आदेश फरवरी 2013 और जनवरी 2014 में धारा 201(1)/201(1ए) के अंतर्गत पास किये गये थे। एओ ने फरवरी 2013 के अपने आदेश में निर्धारित समय के अंदर सरकारी लेखा में स्रोत पर काटे गये कर को जमा न करने के कारण ₹ 18.20 करोड़ की मांग की। लेखापरीक्षा ने नोटिस किया कि आईटीडी ने धारा 276बी के अंतर्गत अभियोजना कार्यवाही नहीं की थी। आईटीडी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि कार्यवाही करने हेतु सीआईटी (टीडीएस) को संदर्भ कर दिया जायेगा।

ख. कर्नाटक में, सीआईटी (टीडीएस) प्रभार में, मैसर्स बृहत बेंगलूर महानगर पालिका के मामले में वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु नवम्बर 2014 में सर्वेक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2015 में धारा 201(1) और 201(1ए) के अंतर्गत सत्यापन आदेश पास किया गया था। लेखापरीक्षा ने नोटिस किया कि यद्यपि कटौतीकर्ता ने स्रोत पर ₹ 2.36 करोड़ काटे गये कर के गैर-प्रेषण की चूक की थी, एओ ने धारा 271सी/271एच के अंतर्गत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भेजा लेकिन धारा 276बी के अंतर्गत अभियोजना कार्यवाही करने में विफल रहा। आईटीडी ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि उचित सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अभियोजना के प्रावधानों का प्रयोजना नियत तिथि के अंदर कर जमा न करने का दोषी पाये गये कर चूककर्ता को सजा देना है और उन लोगों के दिमाग में कानून का डर पैदा करना है जो वैध कर जमा न करने का इरादा रखते हैं। गैर-अनुपालन के ऐसे उदाहरण इन प्रावधानों के क्रियान्वयन में कमी दर्शाते हैं इस प्रकार इसके निवारक प्रभाव को कम करते हैं।

एक्जिट क्रांफेस के दौरान, सीबीडीटी ने कहा कि समान्य रूप से अभियोजना कार्यवाही केवल प्रमुख चूककर्ताओं के प्रति की जाती है ताकि उनकी आईटीडी में श्रमशक्ति की कमी के कारण प्रभावी रूप से जांच की जा सके। तथापि, सभी कर चूककर्ताओं के प्रति नोटिस जारी करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

2.5 एओ द्वारा व्यय अस्वीकृत करने में विफलता से निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित होती है

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अधिनियम की धारा 40(ए)(आईए) के संबंध में, 128 मामले देखे गये जहां निर्धारण अधिकारी (एओ) ने इस आधार पर प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये व्यय स्वीकृत किया यद्यपि स्रोत पर काटा गया कर काटा नहीं गया था या काटा गया था लेकिन ऐसे भुगतान पर रिटर्न फाइल करने की नियत तिथि से पूर्व जमा नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 195 के संबंध में 27 मामले देखे गये जहां एओ ने इस आधार पर प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये व्यय स्वीकृत किया जहां कर स्रोत पर नहीं काटा गया था। 155 मामलों में गलती के परिणामस्वरूप ₹ 2026.42 करोड़ के कर की कम वसूली हुई। पांच ऐसे उदाहरण बॉक्स 2.4 में दर्शाये गये हैं।

बॉक्स 2.4: एओ द्वारा व्यय अस्वीकृत करने में विफलता से निर्धारण की गुणवत्ता से संबंधित निदर्शी मामले

अधिनियम की धारा 40(ए)(आईए) में प्रावधान है कि “कारोबार या व्यवसाय में लाभ और हानि” शीर्ष के अंतर्गत प्रभारयोग्य आय की गणना में व्यय की कटौती अनुमत नहीं है, जिस पर अध्याय XVII-बी के अंतर्गत कर स्रोत पर कटौती योग्य है और ऐसा कर काटा नहीं गया है या कटौती के बाद, धारा 139(1) में निर्धारित नियत तिथि से पूर्व या नियत तिथि को भुगतान न किया हो।

क. कर्नाटक में, सीआईटी रेंज-1 प्रभार की निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2010-11 के लिये मैसर्स बेंगलूर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड की संवीक्षा जांच मार्च 2013 में पूर्ण की गई थी। चूँकि निर्धारण कम्पनी ने ‘उपभोक्ताओं को दिये गये ब्याज’ पर टीडीएस नहीं काटा था, एओ ने ₹ 10.54 करोड़ के व्यय की स्वीकृति नहीं दी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने ‘उपभोक्ताओं को दिये गये ब्याज’ के प्रति लाभ और हानि खाते में डेबिट किये गये ₹ 101.54 करोड़ के वास्तविक व्यय के प्रति ₹ 10.54 करोड़ का आंकड़ा अपनाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 30.93 करोड़ के कर की कम वसूली से जुड़े ₹ 91.00 करोड़ के व्यय की कम अस्वीकृति हुई।

ख. दिल्ली में, सीआईटी-V प्रभार की, निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिये मैसर्स प्राइमस बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की संवीक्षा जांच मार्च 2013 में पूर्ण की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण कम्पनी ने मार्च 2010 में धारा 194सी के अंतर्गत ₹ 1.01 करोड़ का टीडीएस काटा लेकिन उसे जनवरी 2012 में सरकारी खाते में जमा किया गया था अर्थात् रिटर्न फाइल करने की नियत तिथि के बाद। तथापि, एओ ₹ 50.52 करोड़ से जुड़ी राशि की अस्वीकृति में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 23.35 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

ग. महाराष्ट्र में, सीआईटी-I प्रभार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारण कम्पनी मैसर्स हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संवीक्षा जांच फरवरी 2013 में पूर्ण की गई थी। मैसर्स न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीएल) के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निर्धारण कम्पनी ने एनपीसीएल को ₹ 28.68 करोड़ के ब्याज का भुगतान कर दिया था, उस भुगतान के लिये धारा 194ए के अंतर्गत स्रोत पर कर नहीं काटा गया था। तथापि, धारा 40(ए)(आईए) के अंतर्गत एओ

द्वारा कुछ नहीं जोड़ा गया था। गलती के कारण आय का कम निर्धारण हुआ इस सीमा तक कि ₹ 9.75 करोड़ की कम वसूली हुई।

अधिनियम की धारा 195(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसे गैर-प्रवासी, कम्पनी न होने पर या विदेशी कम्पनी को इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारयोग्य कोई भी ब्याज या कोई अन्य राशि का भुगतान करना हो (वेतन शीर्ष के अंतर्गत प्रभारयोग्य आय न होने पर) आदाता के खाते में ऐसी आय के क्रेडिट के समय या भुगतान के समय, जो भी पहले हो, लागू दरों पर उस पर आयकर काटा जायेगा। इसके अतिरिक्त, 01.04.1962 से पूर्वव्यापी प्रभाव से वित्तीय अधिनियम, 2012 में दिये गये स्पष्टीकरण-2 के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि उप-धारा(1) का पालन करने की बाध्यता और उस पर कर काटना लागू होगा और हमेशा लागू और विस्तृत समझा जायेगा और हमेशा सभी व्यक्तियों, प्रवासी या गैर-प्रवासी पर हमेशा विस्तारित समझा जायेगा चाहे गैर-प्रवासी व्यक्ति का (i) घर या कारोबार स्थान या कारोबार संबंध भारत में हो या न हो; या (ii) किसी भी तरीके से कोई भी अन्य संबंध भारत में हो या न हो।

घ. कर्नाटक में, सीआईटी रेंज-1 की वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये मैसर्स एनसिस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की संवीक्षा जांच फरवरी 2015 में धारा 92सीए के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने एनसिस आईएनसी, यूएसए और एनसिस यूके लिमिटेड से “तकनीकी सहायता शुक्ल सहित सॉफ्टवेयर लाइसेंस और तकनीकी वृद्धि” की खरीद के प्रति व्यय किये गये ₹ 21.89 करोड़ की राशि के व्यापार व्यय की स्वीकृति दी यद्यपि धारा 195 के अंतर्गत स्रोत पर कर नहीं काटा गया था। इस व्यय की अस्वीकृति की चूक के कारण ब्याज सहित ₹ 10.69 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

ड. हरियाणा में, प्रधान सीआईटी (टीडीएस)-2, ने मैसर्स सत इंटरनेशनल फर्म की संवीक्षा जांच दिसम्बर 2014 में पूर्ण की। लेखापरीक्षा ने देखा कि फर्म ने धारा 195 के अंतर्गत टीडीएस काटे बिना विदेशी कम्पनी को टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस और कंसलटेंसी प्रभारों के प्रति क्रमशः ₹ 82.07 लाख और ₹ 10.26 लाख का भुगतान किया। चूक के कारण ₹ 28.53 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 92.33 लाख की आय का कम आकलन हुआ।

कर न काटने या कर काटने लेकिन निर्धारित द्वारा जमा न करने के कारण व्यय की अस्वीकृति में एओ की विफलता, आकलन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान, सीबीडीटी ने कहा कि मामले की जांच की जायेगी और उपरोक्त मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा।

2.6 अचल संपत्ति की बिक्री पर स्रोत पर कर काटने में विफलता

लेखापरीक्षा ने देखा कि, अधिनियम की धारा 194-आईए के संबंध में, 108 मामले जहां विभाग कर कटौतीकर्ता जो अचल संपत्ति की बिक्री पर स्रोत पर कर काटने के लिये उत्तरदायी थे की चूक नोटिस करने में विफल रहा। इस तथ्य के बावजूद कि ₹ 50 लाख से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद के लेन-देन पर जानकारी वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) के माध्यम से विभाग को रिपोर्ट की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित स्रोत पर ₹ 23.69 करोड़ के कर की कम/कटौती नहीं हुई। ऐसे दो उदाहरण बॉक्स 2.5 में दर्शाये गये हैं।

बॉक्स 2.5: स्रोत पर अचल संपत्ति की बिक्री पर कर काटने में विफलता के निदर्शी मामले

अधिनियम की धारा 194-आईए में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो अंतरिती हो, प्रवासी अंतरणकर्ता को किसी भी अचल संपत्ति (कृषि भूमि को छोड़कर) के अंतरण करने हेतु कोई भी राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी हो, उसको अंतरणकर्ता के खाते में ऐसी राशि क्रेडिट होते समय या ऐसी राशि नकद या बैंक डिमांड ड्रॉफ्ट से जारी करते समय या किसी भी माध्यम से, जो भी पहले हो, उस पर आयकर के रूप में ऐसी राशि की एक प्रतिशत के बराबर राशि काटी जायेगी, बशर्ते अंतरण राशि ₹ 50 लाख से कम का न हो।


क. तमिलनाडु में, सायदापेट और रोयापेट्टाह, चेन्नै, पंजीकरण हेतु जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में बनाये गये संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों की नमूना जांच से पता चला कि 01 जून 2013 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान 63 मामलों में, क्रेताओं ने विक्रेताओं को किये गये भुगतान से स्रोत पर कर नहीं काटा यद्यपि संपत्ति के अंतरण हेतु राशि ₹ 50 लाख से अधिक थी। आईटीडी कर चूककर्ताओं के प्रति कार्यवाही करने में भी विफल रहा। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित स्रोत पर ₹ 2.76 करोड़ का ब्याज नहीं काटा गया। आईटीडी ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि सीपीसी (टीडीएस) वैशाली ने अचल संपत्ति (एआईआर के माध्यम से रिपोर्ट की गई) के खरीददारों की सीसीए वार सूची भेजी। जिन्होंने वि.व. 2013-14 और वि.व. 2014-15 के लिये 26क्यूबी फाइल नहीं किया था और कार्यवाही की जायेगी।

ख. केरल में, सीआईटी (टीडीएस) कोच्ची प्रभार, लेखापरीक्षा ने यह देखा कि सितम्बर 2013 में मै. कॉमन वेल्थ ट्रस्ट लिमिटेड द्वारा मै. प्यूमिक प्रोजेक्ट्स एण्ड प्रापर्टीज को ₹ 7.65 करोड़ में एक संपत्ति बेची गई और एसआरओ, चेलापुरम, कालीकट ने आयकर विभाग के साथ वार्षिक सूचना विवरणी (एआईआर) के माध्यम से इस उच्च मूल्य लेन-देन को साझा किया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ऐसे लेन-देन पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी और आईटीडी के संज्ञान में पहले ही यह लेन-देन होने के बावजूद आईटीडी कर चूककर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रहा। इस चूक के कारण स्रोत ₹ 7.65 लाख के कर की कम कटौती हुई।

ऐसी घटनायें अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद से संबंधित स्रोत पर काटे गए कर की उगाही से संबंधित प्रावधानों को लागू करने में कमी दर्शाती हैं।

2.7 निर्धारण एवं टीडीएस इकाइयों के बीच समंवय का अभाव

एओ (टीडीएस), अधिनियम के प्रावधानों के तहत व्यय की गैर अनुमति हेतु संबंधित निर्धारण इकाइयों के लिए टीडीएस प्रावधानों के गैर-अनुपालन की घटनायें देखने पर मामले से संबंधित सूचना दे सकता है। इसी प्रकार, जहां क्षेत्राधिकारी एओ टीडीएस प्रावधानों का गैर-अनुपालन देखता है तो वह करों के संग्रहण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित इकाइयों को ऐसी सूचना दे सकता है।



लेखापरीक्षा ने 369 मामलों में यह देखा कि निर्धारण इकाइयों और टीडीएस इकाइयों के बीच समंवय का अभाव था क्योंकि टीडीएस प्रावधानों से संबंधित जानकारी अनुपालन हेतु साझा नहीं की जा रही थी। एक ऐसा ही निदर्शी मामला बॉक्स 2.6 में दर्शाया गया है।

बॉक्स 2.6: निर्धारण इकाइयों और टीडीएस इकाइयों के बीच समंवय के अभाव से संबंधित निदर्शी मामले

क. बिहार में, सीआईटी (टीडीएस) पटना प्रभार, एओ ने दिसम्बर 2014 में नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए एक सहकारी समिति, तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का निर्धारण किया जिसमें धारा 194सी के तहत स्रोत पर कर की कटौती किए बिना ₹ 10.65 करोड़ (₹ 2.72 करोड़ + ₹ 3.26 करोड़ + ₹ 4.67 करोड़) का परिवहन व्यय अनुमत किया गया था। चूंकि स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी, मामले को अधिनियम की धारा 40(ए)(आईए) के तहत व्यय की गैर अनुमति हेतु संबंधित निर्धारण इकाई को भेजा जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

इस प्रकार, निर्धारण इकाइयों और टीडीएस इकाइयों के बीच समंवय का अभाव था क्योंकि अधिनियम के विभिन्न टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में सूचना साझा नहीं की जा रही है।

एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान सीबीडीटी ने बताया कि सीपीसी (टीडीएस) एवं आयकर कारोबार एप्लीकेशन (आईटीबीए) लिंकेज के माध्यम से टीडीएस इकाई और क्षेत्राधिकरण इकाई के बीच ऐसी सूचना साझा करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। प्रक्रिया शुरूआती चरण में है, और धीरे-धीरे व्यापक सूचना प्रवाह की ओर बढ़ेगी।

2.8 स्रोत पर कर कटौती के प्रति एओज़ द्वारा आय पर ध्यान न देना

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 27 मामलों में निर्धारिती ने संबंधित प्राप्ति नहीं दशाई थी जिससे उनकी आयकर विवरणियों हेतु कुल आय की गणना से कर की कटौती की गई थी। एओज़ ने भी निर्धारिती के करयोग्य आय की गणना करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण करयोग्य आय कम क्रेडिट हुई और इस प्रकार निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। एक ऐसा ही निदर्शी मामला बॉक्स 2.7 में दर्शाया गया है।

बॉक्स 2.7: धारा 198 के प्रावधान का अनुपालन न करने संबंधी निदर्शी मामले

अधिनियम की धारा 198 में प्रावधान है कि अध्याय XVII के अनुसार काटी गई सभी राशियों की गणना निर्धारिती की आय, प्राप्त होने वाली संभावित आय के लिए की जाएगी, बशर्ते कि निर्धारिती की आय की गणना हेतु धारा 192 की उपधारा (1ए) के अंतर्गत अदा किए जाने वाले कर की राशि को प्राप्त आय के रूप में माना जाएगा।

असम में, प्रधान सीआईटी-॥ गुवाहाटी प्रभार, धारा 143(3)/153ए के तहत मार्च 2015 में एक निर्धारिती, ऋषि कुमार गुप्ता का नि.व. 2011-12 हेतु निर्धारण किया गया। फार्म 26एएस³ की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती की सकल प्राप्तियाँ ₹ 8.87 करोड़ थी और स्रोत पर काटा गया कर ₹ 0.19 करोड़ था। हालांकि, निर्धारिती ने केवल ₹ 4.12 करोड़ की कुल सकल प्राप्त दर्शाई थी और निर्धारिती द्वारा ₹ 0.19 करोड़ के टीडीएस का दावा किया गया था। इस प्रकार, ₹ 4.75 करोड़ की सकल प्राप्तियों को कम बताया गया था जिससे कम करयोग्य आय क्रेडिट हुई।

इस प्रकार, एओ निर्धारण की गुणवत्ता घटाते हुए नियमित निर्धारण के दौरान उपलब्ध निर्धारिती की आय की सूचना का उपयोग करने में विफल रहा।

2.9 निष्कर्ष

एओ (टीडीएस) द्वारा कर कटौती में चूककर्ता पर धारा 201(1ए)/206सी(7) के तहत ब्याज की गैर/कम उगाही से प्रावधानों का कार्यान्वयन कमजोर होता है। धारा 271सी/271सीए और 276बी/276बीबी/278ए के तहत क्रमशः जुर्माना न लगाने और अभियोग न चलाने से प्रावधान कमजोर एवं हतोत्साहित हुए। एओ द्वारा व्यय अनुमत न करने की विफलता, जबकि स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी अथवा कटौती की गई थी लेकिन निर्धारिती द्वारा जमा नहीं कराया गया था, निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित करती है। कटौतीकर्ता 108 मामलों में अचल संपत्ति की बिक्री पर स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहे। ऐसी घटनाएं अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद से संबंधित स्रोत पर काटे गए कर की उगाही से संबंधित प्रावधानों को लागू करने में कमी दर्शाती हैं। निर्धारण इकाइयों और टीडीएस इकाइयों के बीच समन्वय का अभाव था क्योंकि अधिनियम के विभिन्न टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में सूचना साझा नहीं की जा रही है। इस प्रकार, एओ निर्धारण की गुणवत्ता घटाते हुए नियमित निर्धारण के दौरान उपलब्ध निर्धारिती की आय की सूचना का उपयोग करने में विफल रहा।

3 फार्म 26एएस एक समेकित वार्षिक कर निर्धारण है जिसमें कर संबंधी सभी सूचना (टीडीएस, टीसीएस, प्रतिदाय इत्यादि) एवं पैन से जुड़ी उनकी आय दर्शाता है।

2.10 सिफारिश

लेखापरीक्षा की सिफारिश है कि


- क. सीबीडीटी टीडीएस इकाइयों और तत्संबंधी क्षेत्राधिकरण निर्धारण इकाइयों के बीच सूचना का साझाकरण सुनिश्चित करे ताकि राजस्व प्राप्ति प्रयासों में तालमेल हो सके।

सीबीडीटी ने बताया (दिसम्बर 2016) कि सीपीसी (टीडीएस) और आईटीबीए लिंकेज के माध्यम से टीडीएस इकाई और क्षेत्राधिकरण इकाई के बीच ऐसी सूचना की साझाकरण प्रक्रिया शुरू की गई है।

अध्याय 3

टीडीएस/टीसीएस आधार का विस्तार

3.1 सीबीडीटी की 2014-15 की केंद्रीय कार्ययोजना (सीएपी) में उल्लेख के अनुसार स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से राजस्व वृद्धि की रणनीति पर जोर दिया गया ताकि टीडीएस/टीसीएस आधार हेतु स्रोत पर कर की कम/गैर कटौती के क्षेत्रों का सर्वेक्षण और उनकी पहचान की जा सके। 31 मार्च 2012, 2013 और 2014 तथा उसी अवधि के दौरान दाखिल ई-टीडीएस विवरणियों के संख्या के अनुसार आईटीडी के पास उपलब्ध कर कटौतीकर्ताओं की संख्या चार्ट 3.1 में दर्शाई गई है।



स्रोत: सीपीसी (टीडीएस)

इस अध्याय में टीडीएस/टीसीएस आधार के विस्तार हेतु आईटीडी द्वारा किए गए प्रयासों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

3.2 विभिन्न उप-शीर्षों के तहत टीडीएस संग्रहण

3.2.1 कर संग्रहण⁴ में वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 6.37 लाख करोड़ से 25.5 प्रतिशत बढ़कर वि.व. 2014-15 में ₹ 7.99 लाख करोड़ हो गया जबकि विभिन्न उपशीर्षों के तहत करदाताओं से टीडीएस संग्रहण वि.व. 2012-13 में ₹ 2.11 लाख करोड़ से 22.75 प्रतिशत बढ़कर वि.व. 2014-15 में ₹ 2.59 लाख करोड़ हो गया। तालिका 3.1 वि.व. 2012-13 से 2014-15 के दौरान विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत टीडीएस संग्रहण की तुलना में कर संग्रहण का विवरण दर्शाया गया है।

4 निगम कर एवं आयकर सहित

तालिका 3.1: कर संग्रहण की तुलना में उप-शीर्षों के तहत टीडीएस संग्रहण ₹ करोड़ में			
विवरण/वि.व.	2012-13	2013-14	2014-15
कर संग्रहण	6,36,932	7,21,604	7,99,459
विभिन्न उप-शीर्षों के तहत टीडीएस के ब्याँरें			
वेतन	84,293	98,346	1,08,215
प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,307	736	952
लाभांश	243	162	112
ब्याज	25,836	33,353	34,915
लॉटरी या क्रोसवर्ड पहेली से विजित वस्तु	204	265	226
घुड़दौड़ से विजित वस्तु	19	20	21
ठेकेदारों तथा उप ठेकेदारों को भुगतान	26,826	27,757	29,863
बीमा कमीशन	2,194	2,436	2,428
अनिवासियों को भुगतान	51	71	77
अन्य	69,681	85,399	82,298
कुल टीडीएस	2,10,654	2,48,547	2,59,106

2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान कर संग्रहण तथा टीडीएस संग्रहण में संतुलित वृद्धि हुई है।

3.3 टीडीएस रिटर्नों की जाँच हेतु चयन मानदंड

सीबीडीटी यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निर्धारणों हेतु रिटर्नों/मामलों के चयन के लिए मानदंड निर्धारित करती है कि निर्धारित आय को कम करके नहीं बताया है या अधिक हानि की गणना नहीं की है या किसी प्रकार कर का कम भुगतान नहीं किया है। कर की कटौती न करने/ कम कटौती करने या काटे गए किंतु सरकारी लेखा में जमा न किए गए कर के आधार पर कर कटौतीकर्ता की चूक का पता लगाने के लिए टीडीएस/टीसीएस के सत्यापन के चयन हेतु समान मानदंड आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि टीडीएस यूनियों के एओ द्वारा संवीक्षा हेतु टीडीएस रिटर्नों के चयन हेतु सीबीडीटी ने कोई चयन मानदंड निर्धारित नहीं किया है। एओ (टीडीएस) सत्यापन के लिए टीडीएस रिटर्नों को व्यक्तिगत तरीके से उठाते हैं। ऐसे ही एक मामला 2007 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 8 में भी उठाया गया था जिसमें मंत्रालय ने उत्तर दिया था कि उचित प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा था, जो टीडीएस रिटर्नों की समय सीमा के साथ साथ सत्यापन की प्रक्रिया निर्दिष्ट करेगी।

सीबीडीटी ने एक्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नियमित निर्धारण मामलों के चयन मानदंड की कार्यप्रणाली के अनुरूप टीडीएस मामलों के सत्यापन के चयन हेतु समान मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

3.4 टीडीएस यूनिटों द्वारा किया गया सर्वेक्षण

यह सुनिश्चित करने लिए कि स्रोत पर कर कटौती या संग्रहण करने वाले सभी सत्वों को विभाग के अभिलेखों में प्रस्तुत किया गया था, टीडीएस यूनिटों से आय कर निर्धारणों, संबंधित अभिलेखों की जांच करना तथा धारा 133ए के तहत सर्वेक्षण करना अपेक्षित है। केंद्रीय कार्य योजना 2013-14 के अनुसार सर्वेक्षण टीडीएस अनुपालन की जांच हेतु आसान तथा सुविधाजनक साधन है। व्यवसाय के मौजूदा रूझान के संबंध में आयकर विभाग प्रणाली में उपलब्ध डाटा, समाचार पत्रों/मैगजीनों से एकत्र की गई सूचना तथा अन्य मामलों की पूछताछ/जांच के दौरान प्राप्त उपयोगी सूचना सर्वेक्षण करने के लिए मामलों के उचित चयन हेतु महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान कर सकती है। चूकों, ब्याज प्रभारित करने, सर्वेक्षण के दौरान पता चली चूकों के संबंध में शास्ति लगाने के लिए धारा 201 के अंतर्गत आवश्यक आदेश पारित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई से टीडीएस का समय पर संग्रहण होगा। इसके पश्चात टीडीएस यूनिटों द्वारा तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्टों का चूककर्ता से अनुपालन हेतु पालन किया जाना आवश्यक है।

अवधि के दौरान लक्षित, निष्पादित, अंतिम रूप दिए गए तथा लंबित सर्वेक्षण की लेखापरीक्षा जांच से निम्नलिखित का पता चला :

आयकर विभाग ने 15 राज्यों⁵ में 24 सीआईटी (टीडीएस) प्रभारों में वि.व. 2012-13 से 2014-15 के दौरान किए गए 3,401 सर्वेक्षणों में से 3,026 सर्वेक्षणों को अंतिम रूप दिया था जिसमें ₹ 2,387.83 करोड़ की मांग सृजित हुई तथा ₹ 718.35 करोड़ की वसूली हुई थी। ब्यौरें परिशिष्ट 2 में दर्शाए गए हैं।

- (i) 50 प्रतिशत से अधिक सीआईटी (टीडीएस) प्रभारों में किए जाने वाले सर्वेक्षणों की संख्या के वार्षिक लक्ष्य या वो निर्धारित नहीं थे/उपलब्ध नहीं थे या उपरोक्त अवधि के दौरान शून्य थे।
- (ii) नौ सीआईटी (टीडीएस) प्रभारों⁶ में उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में किए गए सर्वेक्षणों की संख्या या तो लक्ष्य से काफी अधिक (100 प्रतिशत से अधिक) या लक्ष्य के 50 प्रतिशत से कम थी। अतः लक्ष्य निर्धारण वास्तविक रूप से नहीं किया गया था।

5 असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, चण्डीगढ़ यूटी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल।

6 बैंगलोर, भोपाल, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, सीआईटी-1, मुम्बई, नागपुर, पटना तथा पुणे

- (iii) लक्ष्य की सूचना दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़ यूटी, तमिलनाडु, विजयवाड़ा तथा ओडिशा के सीआईटी (टीडीएस) प्रभारों में उपलब्ध नहीं थी; लक्षित, निष्पादित, अंतिम रूप दिए गए तथा लंबित सर्वेक्षण से संबंधित सूचना गोवा, तमिलनाडु तथा झारखंड में उपलब्ध नहीं थी;
- (iv) वि.व. 2012-13 में चार सीआईटी (टीडीएस) प्रभारों⁷ तथा वि.व. 2013-14 तथा वि.व. 2014-15 में दो सीआईटी (टीडीएस) प्रभार⁸ थे जहां कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
- (v) एओज (टीडीएस) द्वारा अवधि के दौरान किए गए 89 प्रतिशत सर्वेक्षणों को पूरा किया गया था।
- (vi) अंतिम रूप देने हेतु लंबित रहे 375 सर्वेक्षणों में से 221 चार राज्यों से संबंधित थे जो कुल लंबित सर्वेक्षण मामलों का 59 प्रतिशत बनता है। तालिका 3.2 इन चार राज्यों में किए गए तथा अंतिम रूप दिए गए सर्वेक्षणों के ब्यौरे दर्शाती है।

तालिका 3.2: निष्पादित तथा अंतिम रूप दिए गए सर्वेक्षणों की संख्या के ब्यौरे (आंकड़े संख्या में)						
वि.व.	2012-13		2013-14		2014-15	
राज्य	कुल निष्पादित सर्वेक्षण	लंबित सर्वेक्षण	कुल निष्पादित सर्वेक्षण	लंबित सर्वेक्षण	कुल निष्पादित सर्वेक्षण	लंबित सर्वेक्षण
मध्य प्रदेश	85	11	123	81	55	24
कर्नाटक	92	10	211	12	238	52
आन्ध्र प्रदेश ⁹	18	6	16	4	26	4
पश्चिम बंगाल	16	0	30	12	12	5
कुल	211	27	380	109	331	85

उपरोक्त से पता चलता है कि सर्वेक्षण करने के लिए लक्ष्य निर्धारण के प्रति आयकर विभाग का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं था तथा फोलो-अप एवं मॉनिटरिंग भी मौजूद नहीं थी।

7 सीआईटी-1 एवं 2(टीडीएस)-दिल्ली, सीआईटी-2 (टीडीएस)-मुम्बई एवं झारखंड क्षेत्र के लिए सीआईटी (पटना)

8 वि.व. 2013-14 के लिए-सीआईटी-1 (टीडीएस)-मुम्बई तथा झारखण्ड क्षेत्र के लिए सीआईटी (पटना); वि.व. 2014-15 के लिए-सीआईटी-1 (टीडीएस)-चंडीगढ़ तथा झारखण्ड क्षेत्र के लिए सीआईटी (पटना)

9 सीआईटी (टीडीएस) विजयवाड़ा प्रभार में

इस मामले को 2007 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 8 में भी उठाया गया था जिसमें यह बताया गया था कि कई मामलों में या तो सर्वेक्षण किया ही नहीं गया था या सर्वेक्षण की रिपोर्टों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। यह सिफारिश की गई कि आयकर विभाग अपने सीआईटी (टीडीएस) प्रभारों के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षणों के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर सकता है तथा सर्वेक्षण सभी टीडीएस यूनिटों में किए जा सकते हैं तथा इसके पश्चात कवर न किए गए कर कटौतीकर्ताओं को कर क्षेत्र में लाकर कर आधार को बढ़ाने के लिए समय पर अंतिम रूप दिया जा सकता है।

सीबीडीटी एक्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्वेक्षण करने के लिए वास्तविक लक्ष्यों को नियत करने पर निर्णय लेने के लिए सहमत हो गया।

3.5 टैन के आबंटन हेतु 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) में विसंगतियां

कर कटौती लेखा संख्या या कर संग्रहण लेखा संख्या (टैन) आयकर विभाग द्वारा जारी की गई 10-अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक संख्या है। यह उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जानी है जो स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है या जिनसे स्रोत पर कर संग्रहण करना अपेक्षित है। टैन के निर्गम हेतु फार्म 49बी में एक आवेदन किया जाता है तथा टीआईएन-एफसी को प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, फार्म 49बी प्रस्तुत करते समय पहचान तथा पते के प्रमाण के रूप में कोई दस्तावेज सलंगन करना अपेक्षित नहीं है। यहां तक कि फार्म 49बी में निर्धारित पैन फील्ड को भरना अनिवार्य नहीं है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वि.व. 2012-13 से 2014-15 के दौरान विभिन्न सीआईटी प्रभारों¹⁰ के अंतर्गत एओ (टीडीएस) ने नॉन फाइलर्स/स्टॉप फाइलर्स को 1.08 लाख नोटिस जारी किए थे जिसमें से 5,068 नोटिस *परिशिष्ट 3* में दिए गए 'केवाईसी' ब्यौरे में विसंगतियों के कारण 'असेवित' के रूप में वापस आ गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अपर्याप्त 'केवाईसी' के कारण विभाग 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान धारा 201(1)/201/(1ए) के अंतर्गत सृजित ₹ 4,180 करोड़¹¹ की मांग के मामले को संबोधित नहीं कर पाया जिन पर कर कटौतीकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया।

¹⁰ सीआईटी (टीडीएस)-बड़ोदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली 1 एवं 2, गुवाहटी, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई 1 तथा 2, पुणे, सिलीगुड़ी तथा विजयवाड़ा

¹¹ प्र. सीसीआईटी/सीआईटी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस (2015-16) की रिपोर्ट

कर चूककर्ताओं का पता लगाने के लिए टैन के आबंटन के समय पर्याप्त 'केवाईसी' प्रतिमान रखना आवश्यक है। तथापि, आयकर विभाग कर कटौतीकर्ताओं को टैन आबंटन से पूर्व पर्याप्त 'केवाईसी' नहीं कर रहा था। पहचान पत्रों, टेलीफोन नम्बर सहित पता तथा कर कटौतीकर्ताओं के ई-मेल का प्रमाणन टैन के आबंटन हेतु पूर्वापेक्षा हो सकता है ताकि सभी कर कटौतीकर्ताओं का पता लगाया जा सके।

सीबीडीटी एक्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर सहमत था तथा बताया कि वे टैन आबंटन में पैन को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रहे हैं।

3.6 निष्कर्ष

सीबीडीटी ने टीडीएस रिटर्नों के सत्यापन के चयन हेतु मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। 50 प्रतिशत से अधिक सीआईटी (टीडीएस) प्रभारों में किए जाने वाले सर्वेक्षणों की संख्या के वार्षिक लक्ष्य या तो निर्धारित नहीं थे/उपलब्ध नहीं थे या उपरोक्त अवधि के दौरान शून्य थे। प्रत्येक वर्ष के तीन सीआईटी (टीडीएस) प्रभारों को छोड़कर किए गए सर्वेक्षणों की संख्या या तो लक्ष्य से काफी अधिक थी या इसके 50 प्रतिशत से कम थी जिससे लक्ष्य तथा उपलब्धि के बीच असंबंधता का पता चला। सर्वेक्षण करने के लिए लक्ष्य निर्धारण के प्रति आयकर विभाग का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं था। आयकर विभाग कर कटौतीकर्ताओं को टैन आबंटन से पूर्व पर्याप्त 'केवाईसी' नहीं कर रहा था इसलिए सभी टीडीएस चूककर्ताओं का पता लगाने में असमर्थ था।

3.7 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि

- ❖ सीबीडीटी जांच हेतु टीडीएस रिटर्नों के चयन हेतु प्रक्रिया और मानदंड निर्धारित कर सकता है।

सीबीडीटी सिफारिश पर सहमत थी (दिसम्बर 2016) तथा बताया कि नियमित निर्धारण मामलों के चयन मानदंड की कार्यप्रणाली के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

- ❖ सीबीडीटी अपने सीआईटी (टीडीएस) प्रभागों के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षणों के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर सकती है तथा सभी टीडीएस यूनिटों में सर्वेक्षण किए जा सकते हैं तथा तत्पश्चात कर क्षेत्र में कवर न किए गए कर्तव्यकर्ताओं को शामिल करके कर आधार के विस्तार हेतु समय पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

सीबीडीटी ने सर्वेक्षण करने के लिए वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए निर्णय पर सहमति दी (दिसम्बर 2016)।

- ❖ सीबीडीटी 'केवाईसी' में अपर्याप्तताओं की जाँच कर सकता है तथा पर्याप्त 'केवाईसी' के बिना आयकर विभाग टैन जारी नहीं कर सकता ताकि कर चुककर्ताओं का पता लगाया जा सके।

सीबीडीटी ने बताया (दिसम्बर 2016) कि सीबीडीटी टैन आबंटन में पैन को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रहा है।

अध्याय 4

ई-टीडीएस योजना का कार्यान्वयन


4.1 आयकर विभाग ने टीडीएस रिटर्नों के संग्रहण, समेकन तथा संसाधन के स्वचालन के भाग के रूप में “स्रोत पर काटे गए कर के रिटर्नों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग योजना, 2003” की अधिसूचित किया था। इस योजना के अनुसार, कोरपोरेट तथा सरकारी कटौतीकर्ताओं को वि.व. 2004-05 के बाद से टीडीएस रिटर्नों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप (ई-टीडीएस रिटर्न) में प्रस्तुत करना होगा। आयकर विभाग की ओर से राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा लिमिटेड (एनएसडीएल) कटौतीकर्ताओं से ई-टीडीएस रिटर्नों को प्राप्त करता है, तथा ओएलटीएएस बैंको के माध्यम से करों के भुगतान की सूचना प्राप्त करता है। करदाता एनएसडीएल द्वारा स्थापित कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन) के माध्यम से अपने चालानों की स्थिति के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।

टीडीएस संसाधन के स्वचालन के उद्देश्य के साथ तथा कर कटौतीकर्ताओं करदाताओं, निर्धारण अधिकारियों (एओज) को व्यापक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए आयकर विभाग ने नवम्बर 2012 में टीडीएस के लिए केंद्रीकृत संसाधन सैल अर्थात् सीपीसी (टीडीएस) प्रारंभ किया था। सीपीसी (टीडीएस) कटौतीकर्ताओं, करदाताओं तथा निर्धारण अधिकारियों (एओज) को ट्रेसस (टीडीएस मिलान, विश्लेषण तथा सुधार इनेब्लिंग प्रणाली) से टीडीएस से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं सेवाओं की व्यापक रेंज प्रदान करती है। टीआरएसीइज अपने पोर्टल के माध्यम से करदाताओं को फॉर्म 26 एस को देखने तथा डाउनलोड करने जैसी सेवाए प्रदान करता है। कटौतीकर्ता टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16 तथा 16ए) डाउनलोड करते हैं जो कटौतीकर्ताओं द्वारा जमा कराए गए कर क्रेडिटों तथा कटौती कराने वालों द्वारा दावा किए गए कर के क्रेडिटों के बीच उचित मिलान को सरल बनाते हैं। चार्ट 4.1 सीपीसी (टीडीएस) के कार्य प्रवाह प्रक्रिया को दर्शाता है।

कर कटौतीकर्ताओं/संग्रहण कर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए तिमाही रिटर्नों का संसाधन ट्रेसस के माध्यम से किया जाता है तथा विसंगतियों के लिए मांग नोटिस भी प्रणाली के माध्यम से बनाए तथा सीधे कर कटौतीकर्ताओं/ संग्रहणकर्ताओं को भेजे जाते हैं। कर कटौतीकर्ताओं/संग्रहणकर्ताओं द्वारा उनके नोटिस के अनुपालन को सरल बनाने तथा इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी टीडीएस यूनिटों की है। टीडीएस/टीसीएस प्रणालियों की कार्यप्रणाली और राजस्व संग्रहण में प्रगति को मॉनीटर करने के लिए एओज के उपयोग हेतु सीपीसी (टीडीएस) के पोर्टल में विभिन्न कार्यात्मकताएं उपलब्ध हैं।

इस अध्याय में एओ पोर्टल के माध्यम से एओज (टीडीएस) को उपलब्ध कराई गई कार्यात्मकताओं के उपयोग के मामले दर्शाए गए हैं।

चार्ट 4.1: सीपीसी (टीडीएस) की कार्यप्रवाह प्रक्रिया



स्रोत: सीपीसी (टीडीएस)

4.2 अप्रयुक्त चालान

टीडीएस पर सूचना प्राधिकृत बैंकों की शाखाओं तथा एनएसडीएल द्वारा ओलटास में अपलोड किए गए ई-भुगतान के माध्यम से प्राप्त की गई थी। ओलटास में प्रत्येक भुगतान के लिए अनुरूपी चालान होता है और प्रत्येक भुगतान को विशिष्ट चालान पहचान संख्या नामतः सीआईएन दिया जाता है। कटौतीकर्ता द्वारा दर्ज किए तिमाही टीडीएस विवरणों या ई-टीडीएस रिटर्नों को चालान मिलान पैन वैधीकरण, 26 एस रचना आदि के लिए संसाधित किया जाता है। यदि कोई पैन त्रुटि नहीं है और बेमेल चालान के कारण कोई कम भुगतान नहीं हुआ तथा अपर्याप्त चालान शेष के कारण कोई कम भुगतान ही हुआ है तो विवरण को चूक रहित संसाधित माना जाएगा तथा चालान को प्रयुक्त समझा जाएगा। कोई चालान निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत प्रणाली में अप्रयुक्त रह सकता है:-

- i) एक कटौतीकर्ता के मामले में, जहां कर के कम भुगतान के कारण या टीडीएस विवरण (ई-टीडीएस रिटर्न) में गलत चालान विवरण उद्धृत करने के कारण मांग उठाई गई हैं, आयकर विभाग के ऑन लाईन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलओएएल) मॉड्यूल में ऐसे कटौतीकर्ता के अकाउंट में चालान उपलब्ध होगा जिसका उपयोग/ दावा नहीं किया गया है।
- ii) जहां कटौतीकर्ता ने स्रोत पर काटे गए करों का भुगतान कर दिया है किंतु अभी तक या तो टीडीएस विवरण के माध्यम से टीडीएस संव्यवहारों की सूचना नहीं दी या; टीडीएस विवरण में अपूर्ण संव्यवहारों की सूचना दी थी। ऐसे संव्यवहारों के प्रति चालान भी कम्प्यूटर प्रणाली में अप्रयुक्त रह जाते हैं।
- iii) किसी मामले में, जहां कटौतीकर्ता ने लेट फाइलिंग फीस के कारण मांग या; विलंब से भुगतान पर ब्याज सहित ब्याज या; विलंब से कटौती ब्याज का भुगतान किया है तथा उस चालन की ऐसी बकाया मांग के प्रति दावा करने के लिए टीडीएस विवरण के माध्यम से सूचना नहीं दी गई है।

अप्रयुक्त चालानों को सीपीसी (टीडीएस) में आंतरिक रूप से मिलान नहीं किया जा सकता क्योंकि केवल कटौतीकर्ता की विशेष मांग के लिए विशेष चालान की मैपिंग की पुष्टि की जा सकती है; अप्रयुक्त चालान बैंकों या अन्य द्वारा गलत सूचना के कारण कर कटौतीकर्ता के अकाउंट में पड़ा रह सकता है।

लेखापरीक्षा ने 19 सीआईटी (टीडीएस) प्रभारों में देखा कि वि.व. 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए एओ (टीडीएस) पोर्टल में प्रसारित अप्रयुक्त चालानों की संख्या ₹ 7.90 लाख थी जो ₹ 18,500.06 करोड़ के थे। अप्रयुक्त चालानों के ब्यौरे ₹ 0.91 लाख कटौतीकर्ताओं को भेजे गए थे। उपरोक्त में से, ₹ 0.09 लाख अप्रयुक्त चालानों को क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा टैग किया गया था और ₹ 280.07 करोड़ की बकाया मांग को समाधित किया गया था। ब्यौरे परिशिष्ट 4 में दर्शाए गए हैं। तथापि, सीपीसी (टीडीएस) द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर दिया गया डाटा कि ₹ 752.47 करोड़ की राशि वाले 84.91 लाख अप्रयुक्त चालानों में से 988 चालान¹² टैग किए गए थे और वि.व. 2012-13 से 2014-15 से संबंधित शेष टीडीएस राशि का केवल 6.28 प्रतिशत समाधित लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित डाटा के साथ मेल नहीं खाता है।

विव	अप्रयुक्त चालानों की संख्या	निहित राशि ₹ करोड़ में	एओज़ (टीडीएस) द्वारा टैग किए गए अप्रयुक्त चालान	निहित राशि ₹ करोड़ में
2012-13	29,89,613	4,716.52	462	509.28
2013-14	27,48,291	3,585.70	285	197.62
2014-15	27,53,556	3,689.16	241	45.57
जोड़	84,91,460	11,991.38	988	752.47

स्रोत: सीपीसी (टीडीएस)

सीपीसी (टीडीएस) के डाटा से लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि अप्रयुक्त चालानों को टैग करने की सुविधा का कुल 474 एओज़ में से केवल 94 एओज़ द्वारा उपयोग किया गया था और शेष 380 एओज़ प्रणाली का उपयोग नहीं कर रहे थे।

एओज़ द्वारा अप्रयुक्त चालानों को टैग करने में निष्फल के परिणामस्वरूप उनकी संबंधित माँग के 99 प्रतिशत से अधिक की मैपिंग नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप कर प्रदाता उनके टीडीएस क्रेडिटों का सत्यापन नहीं कर पा रहे थे जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी हुई।

¹² 31 मार्च 2016 तक

4.3 समाधेय टीडीएस माँग

बकाया टीडीएस माँग जो कि तुरंत वसूली योग्य है और किसी भी विवाद या मुकदमेबाजी या सुधारों से मुक्त है को “समाधेय टीडीएस माँग” की श्रेणी में जोड़ा जा सकता है। बकाया समाधेय टीडीएस माँग में टीडीएस का कम भुगतान और उस पर ब्याज टीडीएस प्रतिगमों की देर से फाइलिंग के कारण देरी से फाइलिंग शुल्क निहित होता है।

टीडीएस प्राधिकरण¹³ को एओ-पोर्टल पर सीपीसी (टीडीएस) द्वारा सूचित कुल माँग लेने द्वारा तुरंत वसूलने योग्य समाधेय का पता लगाने की आवश्यकता है। समाधेय माँग का पता लगाने के बाद यदि माँग चालानों के बेमेलपन या गलत पैन या किसी अन्य कारणों से है तो एओ (टीडीएस) को समाधेय माँग का पता लगाने के बाद सुधार/ संशोधित विवरण की फाइलिंग के लिए निर्धारिती को पत्र जारी करने की आवश्यकता है। यदि समाधेय माँग के संबंध में निर्धारिती द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई एओ वसूली उपाय कर सकता है ताकि माँग ‘शून्य’ तक घट जाये।

सीपीसी (टीडीएस) ने सूचित किया (सितम्बर 2016) कि वि.व. 2012-13 से 2014-15 के लिए ₹ 17.798.12 करोड़¹⁴ की समाधेय माँग थी जिसमें कम भुगतान, कम भुगतान पर ब्याज, देर से भुगतान पर ब्याज और फाइलिंग शुल्क के देर से भुगतान के कारण मांगे निहित है। लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि कुल 474 एओज़ में से केवल 219 एओज़ सीपीसी (टीडीएस) में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। एओ पोर्टल पर बकाया समाधेय कर माँग की सुविधा को बकाया समाधेय कर माँग की स्थिति की निगरानी और सुधार/संशोधित विवरण की तदनुसार फाइलिंग के लिए निर्धारितियों को पत्र जारी करने के लिए सभी एओ (टीडीएस) द्वारा उपयोग करने की आवश्यकता है। आगे यदि समाधेय माँग के संबंध में निर्धारिती द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, एओ वसूली उपाय कर सकता है ताकि माँग को ‘शून्य’ किया जा सके।

4.4 एओ (टीडीएस) द्वारा चूकर्ताओं की रिपोर्ट की गैर उपयोगिता

सीपीसी (टीडीएस) माँड्यूल में एक चयनित वर्ष के साथ-साथ चूकों की विभिन्न श्रेणियों जैसे कि कम भुगतान, कम कटौती, देर से भुगतान, देर से कटौती, देर से फाइलिंग, कम भुगतान/ देर से भुगतान/ कम कटौती पर ब्याज,

13 प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी (टीडीएस), सीआईटी (टीडीएस) अपर सीआईटी (टीडीएस), एओ (टीडीएस)

14 31 मार्च 2016 तक

धारा 220(2) के तहत नवीनतम सुधार और ब्याज की प्रोसेसिंग के प्रति अतिरिक्त ब्याज के तहत सभी चूककर्ता टैन के माँग विवरण देते हुए रिपोर्ट बनाने की सुविधा है। प्रोसेसिंग चरण के दौरान चूकों का पता लगाया गया और एओ स्तर पर उपलब्ध कराया गया। एओज़ को इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

सीपीसी (टीडीएस) ने कर माँग की चूक के संबंध में डाटा प्रदान कराया जिसने दर्शाया कि ₹ 20.381.14 करोड़ वि.व. 2012-13 से 2014-15 के लिए विभिन्न कटौतीकर्ताओं के प्रति लंबित था।

लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि 474 एओज़ में से केवल 219 एओज़ ने कर चूक के परिसमापन के लिए सीपीसी (टीडीएस) पोर्टल पर एओ के लिए उपलब्ध सुविधा का उपयोग किया था। तथ्य को देखते हुए कि वहाँ पर विभिन्न कर कटौतीकर्ताओं के प्रति बड़ी लंबित माँग थी, एओ (टीडीएस) द्वारा कर चूककर्ताओं रिपोर्ट की गैर-उपयोगिता ने उचित अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण कर माँग के गैर-परिसमापन के मामले को केवल और बिगाड़ा।

एग्जिट सम्मेलन के दौरान, सीबीडीटी ने पैरा 4.2 से 4.4 के संदर्भ में कहा कि एओज़ द्वारा सीपीसी (टीडीएस) की बेहतर उपयोगिता के लिए उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए हैं और फील्ड फार्मेशनों के लिए क्षमता निर्माण अभ्यास की भी संचालन किया।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि इस काडर को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त, सीबीडीटी एओज़ सहित सभी पणधारकों द्वारा सीपीसी (टीडीएस) में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग को सुनिश्चित कहने के लिए कुछ व्यवहार्य और सत्यापन योग्य कदम वाली एक प्रणाली को संस्थापित कर सकता है। आगे, एक प्रणाली विकसित की जा सकती है जहाँ संबंधित एओज़ द्वारा पोर्टल के लॉग इन/उपयोग की ट्रेल का सत्यापन किया जा सकता है।

सीबीडीटी ने सुझावों पर सहमति दी और कहा कि उचित कार्रवाई लेखापरीक्षा द्वारा कहे जाने पर की जायेगी।

4.5 निष्कर्ष

अप्रयुक्त चालानों की सीमा चालान की संख्या के साथ-साथ सम्मिलित टीडीएस राशि के अनुसार महत्वपूर्ण हैं और अप्रयुक्त चालानों की टैगिंग की सुविधा का सभी एओज द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा। समाधेय माँग की वसूली और कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्ट से चूकों के समाशोधन के लिए सीपीसी (टीडीएस) पोर्टल पर एओ (टीडीएस) के लिए उपलब्ध सुविधा की गैर-उपयोगिता अधिक है।

4.6 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि

क. सीबीडीटी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि सभी एओज अप्रयुक्त चालान, समाधेय माँग की वसूली और कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्ट से चूकों के समाधान के मामलों को संबोधित करने के लिए सीपीसी (टीडीएस) पोर्टल में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सकता है।

सीबीडीटी सुझाव पर सहमत (दिसम्बर 2016) हुआ और कहा कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जायेगी।

ख. सीबीडीटी जल्द वसूली के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है चूँकि यह किसी भी विवाद से मुक्त है।

सीबीडीटी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि सीपीसी (टीडीएस) ने फील्ड फॉर्मेशन को इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा माँगों की शीघ्र वसूली के लिए ज्ञान प्रदान किया। इसके उनकी माँगों के समाशोधन के लिए कटौतीकर्ताओं को भी ज्ञान दिया था।

अध्याय 5

लेखांकन के मामले

5.1 जी-ओएलटीएएस मिलान

सूचना प्राप्त करना और चालानों को ऑनलाइन अपलोड करने द्वारा बैंको द्वारा प्रदत्त कर के रिकॉर्डों के रखरखाव करे लिए आय कर विभाग के कदम को ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली कहा जाता है (ओएलटीएएस)। सरकारी कटौतीकर्ताओं के मामले में टीडीएस के रिकॉर्डों का रखरखाव और प्रेषणों की रिपोर्टिंग को जी-ओएलटीएएस कहा जाता है। सरकारी लेखांकन प्रणाली में प्रत्येक कटौतीकर्ता एक विशेष लेखा अधिकारी से जुड़ा होता है जो कि कटौतीकर्ता द्वारा बनाए गए बिलों को संसाधित करता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ)/ज़िला राजकोष कार्यालय (डीटीओ)/चेक आहरण एवं वितरण कार्यालय (सीडीडीओ) को आईटीडी अधिसूचना सं. 41/2010 दिनांक 31 मई 2010 के अनुसार फॉर्म 24जी¹⁵ को फाइल करने की आवश्यकता है। सरकार के एक कार्यालय के मामले में, जहाँ एक बैंक में कर जमा कराने से संबंधित चालान की प्रस्तुति के बिना कर केन्द्र सरकार के नामें किया गया है, पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ या एक समतुल्य कार्यालय को फॉर्म 24जी फाइल करने की आवश्यकता है। एक एकल सात डिजिट लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआईएन) प्रत्येक लेखा अधिकारी को आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक लेखा अधिकारी एक पूर्ण, सही और समेकित कटौती/एकत्रीकरण के सभी प्रकार के विवरण वाले प्रस्तुत करेगा। फॉर्म 24जी की फाइलिंग प्रत्येक डीडीओ के प्रति जो उसे उद्धृत करते हुए तिमाही तौरपर टीडीएस विवरणों को फाइल करेगा एक बहि समायोजन पहचान संख्या (बीआईएन) के उत्पादन के साथ जुड़ी है। सांविधिक बाध्यता के लिए, एक बुक अंतरण प्रविष्टि तैयार की जाती है और एजी कार्यालय को भेजी जाती है। एजी सभी पीएओज़ से बुक अंतरण प्रविष्टियों को एकत्रित करता है ओर आयकर विभाग के पक्ष में एक समेकित ड्राफ्ट तैयार करता है।

ताकि कुल एआईएन धारकों की संख्या की तुलना में सक्रिय एआईएन धारकों की संख्या के सत्यापन के लिए और राज्य के एजी द्वारा रिपोर्ट की गई राशि के साथ प्रपत्र 24जी में राज्य सरकार एआईएन द्वारा रिपोर्ट की गई राशि में किसी भी अंतर को सत्यापित किया जा सके, मिलान टीडीएस इकाईयों का एक महत्वपूर्ण भाग है।

¹⁵ टीडीएस/टीसीएस पुस्तक समायोजन के बयान

एक एओ टीडीएस को सरकारी डिडक्टरों को बीआईएन के प्रसार और एआईएन धारकों द्वारा प्रपत्र 24जी की फाइलिंग के अनुपालन की निगरानी की आवश्यकता है। एआईएन धारकों द्वारा फाइल की गई प्रपत्र 24जी को उनकी टीडीएस प्रतिगमों को फाइल करने के लिए सरकारी डिडक्टरों को एओ (टीडीएस) द्वारा नोटिस जारी करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस अध्याय में, जी-ओएलटीएएस के मिलान संबंधी मामलों पर चर्चा की गई है।

5.2 राज्य सरकार एआईएन और राज्य महालेखाकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार टीडीएस का मिलान न होना

5.2.1 सीपीसी (टीडीएस) द्वारा दी गई सर्वत्र भारत की सूचना से पता चला कि राज्य एआईएन द्वारा दिया गया फार्म 24जी में राशि राज्य महालेखाकार द्वारा सूचित की गई राशि से अलग है जैसाकि तालिका 5.1 में दर्शाया गया है:

वि.व.	फार्म 24जी में राज्य सरकार एआईएन में दी गई राशि	वर्ष के दौरान समेकित कटौती में राज्य महालेखाकार द्वारा दी गई राशि	सकारात्मक अंतर
2012-13	71,633	8,880	62,753
2013-14	12,419	9,566	2,853
2014-15	11,865	11,938	(73)

स्रोत: डीआईटी (सीपीसी-टीडीएस)

5.2.2 राज्य स्तर पर, लेखापरीक्षा ने फार्म 24जी में राज्य एआईएन धारक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार टीडीएस संग्रहण राशि और तमिलनाडू, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्यों में राज्य महालेखाकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संग्रहित टीडीएस का सत्यापन किया। राजस्थान के मामले में, राज्य एआईएन धारक और राज्य महालेखाकार के आंकड़ों में कोई त्रुटि नहीं थी। यद्यपि, राज्य एआईएन धारक और राज्य महालेखाकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार टीडीएस संग्रहण के बीच काफी अंतर था, इसलिए इससे लेखों में संग्रहण आंकड़ों की सटीकता प्रभावित हुई। तालिका 5.2 में विवरण दर्शाया गया है।

राज्य	वि.व.	फार्म 24जी में राज्य एआईएन धारक द्वारा सूचित किया गया टीडीएस संग्रहण	राज्य महालेखाकार द्वारा सूचित किया गया टीडीएस संग्रहण	अंतर
तमिलनाडू	2013-14	1071.57	1,045.52	26.05
	2014-15	1040.73	1,053.83	(13.10)
महाराष्ट्र	2013-14	861.86	880.97	(19.11)
	2014-15	765.49	772.75	(7.26)
राजस्थान	2012-13	857.32	857.32	0
	2013-14	194.25	194.25	0
	2014-15	946.02	946.02	0
गुजरात	2014-15	432.81	414.21	18.60

सीआईटी (टीडीएस) चेन्नई ने उत्तर दिया (मार्च 2016) कि जी-ओलटास पुनः मिलान किया जाना था और अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, सीबीडीटी ने कहा कि राज्य एआईएन धारक और राज्य महालेखाकार के बीच टीडीएस आंकड़ों का पुनः मिलान राज्य सरकार एआईएन द्वारा दी गई गलत सूचना से उत्पन्न हुआ लेखाकरण मामला है। जांच सरकारी कटौतीकर्ताओं के क्षमता संवर्धन को बढ़ाकर मामले की जांच की जाएगी।

5.3 फार्म 24जी को प्रस्तुत करने में विलंब

प्रत्येक लेखा अधिकारी सभी प्रकार की कटौती/संग्रहण के विवरण देते हुए प्रत्येक महीने एक पूर्ण, सही और समेकित फार्म 24जी प्रस्तुत करेगा। फार्म 24जी को भरा जाना उक्त का उद्धरण करते हुए तिमाही टीडीएस विवरण देने वाले प्रत्येक डीडीओ के प्रति एक बुक समायोजन पहचान संख्या (बीआईएन) के तैयार करने से संबंधित है।

लेखापरीक्षा ने पाया 2012-13 से 2014-15 की अवधि हेतु 18,703 एआईएन धारकों द्वारा फार्म 24जी प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ था। 9,194 मामलों में विलंब 90 दिनों से अधिक था। तालिका 5.3 में विवरण दर्शाये गये हैं:

तालिका 5.3 फार्म 24जी को प्रस्तुत करने में विलम्ब							
विव	एआईएन धारकों की संख्या	विलंब की अवधि (दिनों में)					शामिल राशि ₹ करोड़ में
		1-14	15-30	31-60	61-90	>90	
2012-13	6,196	3,287	3,284	4,768	4,045	4,429	13,799
2013-14	6,411	4,597	4,224	4,569	3,780	3,071	14,674
2014-15	6,096	4,953	3,886	3,953	3,081	1,694	12,459
कुल	18,703						40,932
स्रोत: सीपीसी (टीडीएस)							

डीडीओज द्वारा बुक समायोजन पहचान संख्या (बीआईएन) जो लेखा अधिकारी द्वारा फार्म 24जी के फाईल करने के बाद प्राप्त होती है, का प्रयोग करते हुए तिमाही विवरण फाईल करना आवश्यक होता है।

समय पर लेखा अधिकारी द्वारा फार्म 24जी को प्रस्तुत करने में विफल रहने पर संबंधित डीडीओज द्वारा देय निर्धारित तिथि¹⁶ के अंदर तिमाही टीडीएस विवरण फाईल करने में विलंब हुआ जिससे उनके टैक्स क्रेडिट के दावे के लिए करदाताओं को असुविधा हुई।

¹⁶ 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए निर्धारित तिथि क्रमशः 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 15 मई है।

5.4 निष्क्रिय एआईएन धारक

लेखापरीक्षा ने पाया कि वि.व. 2012-13 से वि.व. 2014-15 की अवधि के दौरान, 3,792 एआईएन आबंटित किए गए थे। कुल संचयी एआईएन 8,791 थे जिसमें से केवल वि.व. 2014-15 के दौरान 6,861 एआईएन ही सक्रिय थे। शेष 1,930 एआईएन 2014-15 के दौरान निष्क्रिय रहे। तालिका 5.4 में सक्रिय एआईएन धारकों के विवरण दर्शाये गये हैं।

तालिका 5.4: एआईएन धारकों के विवरण				
वि.व.	आबंटित एआईएन	संचयी एआईएन	सक्रिय एआईएन	संचयी सक्रिय एआईएन
2012-13	2,331	7,330	1,918	5,842
2013-14	696	8,026	577	6,742
2014-15	765	8,791	624	6,861
कुल	3,792		3,119	

स्रोत: सीपीसी (टीडीएस)

एआईएन धारकों की सूची से उन अधिकारियों को जो अब एआईएन धारकों के कार्य नहीं कर रहे थे, हटाने में आईटीडी की विफलता के परिणामस्वरूप अभी भी एआईएन के अंतर्गत लेखा अधिकारियों के रूप में वैयक्तिक रूप से कार्य नहीं कर रहे थे।

एग्जिट क्रांफ्रेस के दौरान सीबीडीटी ने कहा कि आपत्तियों को ध्यान में रखा गया है और इस संबंध में सभी संभावित कदम उठाये जायेंगे।

5.5 सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा टीडीएस में चूक

लेखापरीक्षा ने पाया कि सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा टीडीएस में चूक¹⁷ की गई थी, जिसका विवरण तालिका 5.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5 सरकारी कटौतीकर्ताओं द्वारा टीडीएस में चूक			
वि.व.	सभी सरकारी कटौतीकर्ताओं के चूकों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	₹ एक करोड़ से अधिक की चूक वाले चूककर्ताओं की संख्या	₹ एक करोड़ से अधिक की चूक के संबंध में चूक की राशि
2012-13	2,867.40	306	1,153.93
2013-14	3,726.15	385	1,189.94
2014-15	2,022.46	235	631.02
कुल	8,616.01	926	2,974.89

स्रोत: सीपीसी (टीडीएस)

सीपीसी (टीडीएस) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, सभी कर चूककर्ताओं की चूक वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 20,381.14 करोड़ तक थी जबकि सरकारी कटौतीकर्ता के मामले में यह

¹⁷ धारा 220 (2) के अंतर्गत कम भुगतान, कम कटौती, भुगतान चूक पर ब्याज, कटौती चूक पर ब्याज, विलम्ब से फाइलिंग की फीस और ब्याज के संबंध में

₹ 8,616.91 करोड़ तक थी जो सभी कर कटौती की कुल चूक का 42.3 प्रतिशत थी।

5.6 निष्कर्ष

2012-13 से 2014-15 के दौरान फार्म 24जी में राज्य सरकार एआईएनज की सूचनानुसार राशि राज्य महालेखाकार द्वारा सूचित राशि से भिन्न थी, जो जी-ओलटास के गैर पुनर्मिलान को दर्शाती है। 18,703 एआईएन धारकों द्वारा 24जी प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान, कुल आबंटित एआईएन के 19.3 प्रतिशत निष्क्रिय थे। उक्त अवधि के दौरान ही सरकारी कटौतीकर्ताओं के मामले में की गई चूक सभी श्रेणियों के चूककर्ताओं द्वारा चूक का 42.3 प्रतिशत थी।

5.7 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है।

क. सीबीडीटी राज्य महालेखाकार (मले) द्वारा सूचित कर भुगतान और फार्म 24जी द्वारा एआईएन धारक द्वारा सूचित किये गये टीडीएस के पुनर्मिलान को सुनिश्चित कर सकता है।

सीबीडीटी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि आपत्तियों का ध्यान में रखा गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्रवाई योग्य सूचना प्राप्त करने के लिए सीपीसी स्तर पर इस क्षेत्र में उपयुक्त विश्लेषण किया जाएगा।


ख. सीबीडीटी एआईएन धारकों द्वारा फार्म 24जी को फाईल करने में बेहतर अनुपालना के लिए कदम उठा सकता है ताकि समय पर तिमाही विवरण फाईल करने में डीडीओ को सक्षम बनाया जा सके।

सीबीडीटी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि फार्म 24जी की फाईलिंग में विलंब को संबंधित टीडीएस इकाई द्वारा देखा जा रहा है। यद्यपि, सीपीसी आवश्यक डाटा या ऐसी अन्य सहायता प्रदान कर सकता है जिसकी आवश्यकता इस कार्य को करने में एओ को हो सकती है।

- ग. विभाग निष्क्रिय एआईएन धारकों के लिए कारणों की समीक्षा कर सकता है और फार्म 24जी के प्रस्तुतीकरण की बेहतर निगरानी के लिए उन्हें हटा सकता है जो अब लेखा अधिकारी का कार्य नहीं कर रहे हैं।


सीबीडीटी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि आपत्तियों को ध्यान में रखा गया है और इस संबंध में सभी संभावित कदम उठाये जाएंगे।

नई दिल्ली
दिनांक: 25 जनवरी 2017


(संजय कुमार)
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 25 जनवरी 2017


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(सन्दर्भ: पैराग्राफ 1.6)

इकाईयों और मामलों के चयन के मापदंड

इकाईयों का चयन

राज्य	प्रधान सीआईटी/सीआईटी (टीडीएस) चयनित प्रभार (प्रतिशतमें)	टीडीएस इकाईयां	कवरेज (प्रतिशत में)
श्रेणी 'अ' राज्य आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडू पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश	100	मंडल	100
		वार्ड	25
श्रेणी 'ब' राज्य आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड और के.शा. चंडीगढ़	100	मंडल	100
		वार्ड	33.33

चयनित इकाई में नमूना आकार

अधिकार क्षेत्र	सत्यापन/सर्वेक्षण
मंडल	100
वार्ड	50

निर्धारण के मामलों

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय	₹ 100 करोड़ ¹⁸ से अधिक टर्नओवर वाले मामलों
अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई।	200
भुवनेश्वर, ग्वालियर, गुवाहाटी, जयपुर कोच्चि, पटना और रांची	100

18 जहां ₹ 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले उपलब्ध नहीं हैं, कम राशि वाले मामलों को ले लिया गया है

परिशिष्ट-2

(सन्दर्भ पैराग्राफ 3.4)

सर्वेक्षण के लक्ष्य, किया गया सर्वेक्षण, उठायी गयी मांग और वसूली के विवरण

(₹ लाख में)

राज्य	सीआईटी (टीडीएस)	विव 2012-13					विव 2013-14					विव 2014-15						
		सर्वेक्षण		मांग			सर्वेक्षण बाकी	सर्वेक्षण		मांग			सर्वेक्षण बाकी	सर्वेक्षण		मांग		
		लक्षित	संचालित	बढ़ी हुई	वसूली गयी	लक्षित		संचालित	बढ़ी हुई	वसूली गयी	लक्षित	संचालित		बढ़ी हुई	वसूली गयी	बाकी		
दिल्ली	सीआईटी-1 और 2	एनए	0	0	0	0	एनए	20	655	655	0	एनए	91	3414.55	3414.55	33		
मध्य प्रदेश	भोपाल	40	85	0	0	11	74	123	0	0	81	21	55	25	25	24		
छत्तीसगढ़		एनए	167	5719.69	5586.25	0	एनए	87	114.21	49.9	0	एनए	40	59.13	49.03	40		
गुजरात	अहमदाबाद	एनए	47	558.33	417.13	एनए	एनए	184	845.26	835.81	एनए	एनए	266	2182.63	1707.68	एनए		
	बड़ौदा	एनए	21	1514.55	281.01	0	एनए	109	1181.4	1122.6	0	32	85	2700.22	1845.69	3		
राजस्थान	जयपुर	एनए	7	6.4	2.29	2	एनए	4	876.5	413	1	एनए	7	302.59	40.15	2		
कर्नाटक	बैंगलोर	56	92	3949.68	3190.82	10	211	211	27187.8	6796.37	12	235	238	14002.6	7052.55	52		
गोवा	पणजी	@																
चंडीगढ़	यूटी	\$	10	310.97	30.47	0	\$	3	2364	259.18	0	\$	0	0	0	0		
	सीआईटी -1																	
	चंडीगढ़	\$	17	14696	6.5	0	\$	27	872.79	129	3	\$	40	224.52	0	39		
	सीआईटी -2																	
	चंडीगढ़																	
तमिलनाडु	चेन्नई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	36	64	12734.4	12308.1	0	25	62	7263.85	7260.47	0	25	42	6117.48	4886.09	3		
	विजयवाड़ा	एनए	18	2255.45	436.14	6	0	16	408.24	282.58	4	एनए	26	1696.12	1120.03	4		
ओडिशा	भुवनेश्वर	@	09	25.11	5.53	शून्य	@	14	257.10	76.53	शून्य	@	15	41.37	शून्य	शून्य		

राज्य	सीआईटी (टीडीएस)	विव 2012-13					विव 2013-14					विव 2014-15							
		सर्वेक्षण		मांग			सर्वेक्षण बाकी	सर्वेक्षण		मांग			सर्वेक्षण बाकी	सर्वेक्षण		मांग			सर्वेक्षण बाकी
		लक्षित	संचालित	बढ़ी हुई	वसूली गयी	लक्षित		संचालित	बढ़ी हुई	वसूली गयी	लक्षित	संचालित		बढ़ी हुई	वसूली गयी				
उत्तर प्रदेश	कानपुर	24	23	437.54	112	शून्य	24	31	1005.4	242	शून्य	24	30	27355.4	686	शून्य			
	लखनऊ	एनए	21	569.03	23.88	0	4	12	588.45	24.53	3	17	33	14542.8 9	26.23	14			
उत्तराखंड	जेसीआईटी, देहरादून	48	8	614.56	#	0	48	9	0.45	0.34	0	48	37	2144.53	412.87	0			
बिहार	पटना	5	5	13979.5 7	5.53	0	0	4	13.74	0	0	0	1	13.5	0	0			
झारखंड		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
महाराष्ट्र	सीआईटी-1, मुंबई	1	2	175	162	0	0	0	0	0	0	2	4	664	664	2			
	सीआईटी -2, मुंबई	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	4	4	1194	0	1			
	पुणे	7	41	43	39	0	141	332	316	316	0	167	269	1438	1814	0			
	नागपुर	0	35	1665.1	1665.1	0	2	65	1346.01	717.28	0	0	68	14183.1	516.9	8			
पश्चिम बंगाल	कोलकाता और सिलीगुड़ी	एनए	16	40704.9 9	4080.58	0	एनए	30	1174.99	7.8	12	3	12	51	33	5			
असम	एनईआर	एनए	2	एनए	एनए	एनए	एनए	1	एनए	एनए	एनए	एनए	1	शून्य	शून्य	शून्य			
कुल		217	690	99959.41	28352.33	29	532	1347	46471.21	19188.39	116		1364	92352.67	24293.8	230			
			अ1	ब1	स1	द1		अ2	ब2	स2	द2		अ3	ब3	स3	द3			
विव		सर्वेक्षण संचालित (अ1+अ2+अ3)				बढ़ी हुई मांग (ब1+ब2+ब3)				बढ़ी हुई मांग (स1+स2+स3)				सर्वेक्षण बाकी (द1+द2+द3)					
2012-13 से 2014-15		3401				238783.29				71834.52				375					

@ आईटीएटी, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया; \$नियत नहीं किया गया;# निरस्त करना

परिशिष्ट-3

(सन्दर्भ पैराग्राफ 3.5)

गैर-अनुपालित के रूप में वापस प्राप्त नोटिस के विवरण

सीआईटी प्रभार (टीडीएस)	विव	मामलों की संख्या जहां गैर-संचिका/विराम संचिका के लिए निर्गत की गयी	मामलों की संख्या जहां केवाईसी में अपर्याप्तता के कारण गैर-अनुपालित रूप में पुर्न-प्राप्त की गयी
सीआईटी (टीडीएस)-1, दिल्ली	2012-13 से	1,237	86
सीआईटी (टीडीएस)-2, दिल्ली	2014-15	2,472	295
सीआईटी (टीडीएस), बड़ौदा	2012-13 2013-14 2014-15	85 65 1,505	18 8 385
सीआईटी (टीडीएस), भोपाल	2012-13 2013-14 2014-15	2,112 1,949 3,494	185 107 195
सीआईटी (टीडीएस), भुवनेश्वर	2014-15	1,765	49
सीआईटी (टीडीएस), चंडीगढ़	2012-13 2013-14 2014-15	3,281 3,234 6,337	158 232 876
सीआईटी (टीडीएस), चेन्नई	2014-15	743	50
सीआईटी (टीडीएस), जयपुर	2012-13 2013-14 2014-15	4,177 4,624 6,310	116 99 113
सीआईटी (टीडीएस), विजयवाड़ा	2012-13 2013-14 2014-15	2,135 1,546 1,522	36 25 65
सीआईटी (टीडीएस), कोलकाता	2014-15	1,422	116
सीआईटी (टीडीएस), सिलीगुड़ी	2014-15	106	8
सीआईटी (टीडीएस), कानपुर	2012-13 2013-14 2014-15	376 401 569	53 56 152
सीआईटी (टीडीएस), लखनऊ	2013-14 2014-15	40 80	6 12
जेसीआईटी (टीडीएस), देहरादून	2012-13 2013-14 2014-15	969 1,512 1,091	123 187 162

सीआईटी प्रभार (टीडीएस)	विव	मामलों की संख्या जहां गैर-संचिका/विराम संचिका के लिए टिप्पणियां निर्गत की गयी	मामलों की संख्या जहां केवाईसी में अपर्याप्तता के कारण गैर-अनुपालित रूप में पुर्न-प्राप्त की गयी
सीआईटी (टीडीएस)-1, मुंबई	2012-13 2013-14 2014-15	537 653 1,517	86 72 234
सीआईटी (टीडीएस)-2, मुंबई	2014-15	1,209	135
सीआईटी (टीडीएस), पुणे	2012-13 2013-14 2014-15	13,669 19,538 15,856	136 202 230
कुल		1,08,138	5,068

टिप्पणी: (i) सीआईटी (टीडीएस) के संबंध में सूचना, चंडीगढ़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर अधिकार क्षेत्र के चयनित प्रभारों से संबंधित प्रभार

परिशिष्ट-4

(सन्दर्भ पैराग्राफ 4.2)

अप्रयुक्त चालान

राज्य	सीआईटी (टीडीएस) प्रभार	विव	एओ-टीडीएस पोर्टल पर प्रसारित अप्रयुक्त चालान की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)	कटौतीकर्ताओं की संख्या जिसके लिए अप्रयुक्त चालानों का विवरण और बकाया मांग संचारित की गयी थी	अप्रयुक्त चालानों की संख्या क्षेत्र गठन द्वारा चिह्नित	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)
महाराष्ट्र	सीआईटी-1, मुंबई	2012-13	40,449	163.93	948	0	82.4
		2013-14	38,868	98.44	775	0	36.9
		2014-15	43,563	118.37	5,439	0	63.76
	सीआईटी-2, मुंबई पुणे	2014-15	32,816	15173	573	0	एनए
		2012-13	86,944	एनए	8,640	282	एनए
		2013-14	88,098	एनए	92	1,270	एनए
	नागपुर	2014-15	99,065	एनए	10,505	6,718	एनए
		2012-13	17,837	20.15	2,487	एनए	एनए
		2013-14	15,340	17.47	2,342	एनए	एनए
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	2014-15	14,828	17.84	2,293	एनए	एनए
		2012-13	1,020	9.05	0	0	0
		2013-14	1,919	20.21	0	0	0
सिलीगुड़ी	2014-15	1,581	20.11	263	0	0	
	2012-13	766	0.39	766	0	0	
	2013-14	720	0.55	720	0	0	
असम	गुवाहाटी	2014-15	761	3.48	761	0	0
		2012-13	7,584	11.16	एनए	एनए	एनए
		2013-14	6,846	13.74	एनए	एनए	एनए
तमिलनाडु	चेन्नई	2014-15	6,938	12.64	एनए	एनए	एनए
		2012-13	4,180	20.60	540	0	0
		2013-14	5,792	24.40	721		
	कोयम्बटूर	2014-15	7,176	46.74	834		
		2012-13	184	1.54	-	-	-
		2013-14	190	3.84	-	-	-
2014-15	18,592	16.03	500	115	1.5		
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	भोपाल	2012-13	14,230	30.54	710	एनए	एनए
		2013-14	12,493	16.61	804	एनए	एनए
		2014-15	11,323	49.62	677	एनए	एनए
गुजरात	अहमदाबाद	2012-13	35	24	35	0	0
		2013-14	28	16	28		
		2014-15	29	26	29		
	बड़ौदा	2012-13	2,832	13	792	72	0.57
		2013-14	2,648	12	793	82	1.49
		2014-15	2,031	7	936	49	0.23

राज्य	सीआईटी (टीडीएस) प्रभार	विव	एओ-टीडीएस पोर्टल पर प्रसारित अप्रयुक्त चालान की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)	कटौतीकर्ताओं की संख्या जिसके लिए अप्रयुक्त चालानों का विवरण और बकाया मांग संचारित की गयी थी	अप्रयुक्त चालानों की संख्या क्षेत्र गठन द्वारा चिह्नित	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)
राजस्थान	जयपुर	2012-13	25,329	18	7,738	0	0
		2013-14	20,106	12	7,835		
		2014-15	22,233	30	8,336		
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	2012-13	1,148	35.11	1,148	0	29.16
		2013-14	1,337	45.6	1,337	0	37.4
		2014-15	887	31.46	887	0	26.6
	विजयवाड़ा	2012-13	18,087	15.38	3,653	0	0
		2013-14	17,441	18.78	3,652	0	0
		2014-15	16,932	17.69	3,597	0	0
कर्नाटक	बैंगलोर	2014-15	100	1,374.92	100	3	0.06
उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड	कानपुर	2012-13	12,313	9	743	0	0
		2013-14	12,366	9.13	1,416	0	0
		2014-15	12,536	299.1	928	0	0
	लखनऊ	2012-13	7,263	7.13	1,794	0	0
		2013-14	7,097	7.54	1,880	0	0
		2014-15	7,603	11.48	1,729	0	0
बिहार एवं झारखंड	पटना	2012-13	6,684	96.14	0	0	0
		2013-14	7,062	365.26	0	0	0
		2014-15	6,185	87.89	0	0	0
कुल			7,90,415	18,500.06	90,776	8,591	280.07

टिप्पणी-1 : सीआईटी (टीडीएस) के तहत कानपुर प्रभार, डीसीआईटी (टीडीएस), नोएडा और आईटीओ (टीडीएस), कानपुर डाटा/सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी और आरटीओ (टीडीएस), आगरा और गाजियाबाद के द्वारा अपूर्ण डाटा/सूचना उपलब्ध करायी गई थी;

टिप्पणी-2 : सीआईटी (टीडीएस) के अधीन, लखनऊ प्रभार, डीसीआईटी (टीडीएस), इलाहाबाद और आईटीओ (टीडीएस), इलाहाबाद द्वारा कोई भी डाटा/सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी और डीआईसीटी (टीडीएस) और आईटीओ (टीडीएस), बरेली के द्वारा अपूर्ण डाटा/सूचना उपलब्ध करायी गयी थी;

टिप्पणी-3 : सीआईटी (टीडीएस) के तहत पटना प्रभार, टीडीएस मंडल, पटना, आईटीओ (टीडीएस) वार्ड-पटना, मुजफ्फरपुर, रांची और धनबाद के द्वारा कोई डाटा/सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी;

टिप्पणी-4: सीआईटी के तहत (टीडीएस) -1, मुंबई प्रभार, जानकारी केवल चयनित प्रभारों से संबंधित था।

परिभाषिक शब्दावली

- **“वार्षिक सूचना रिटर्न” (एआईआर):** आयकर अधिनियम की धारा 285बअ के अनुसार, विनिर्दिष्ट प्रविष्टियां, आयकर प्राधिकरण को विव के दौरान उनके द्वारा पंजीकृत विनिर्दिष्ट लेन-देन के संबंध में एआईआर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं।
- **“ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली” (ओएलटीएएस):** ओएलटीएएस प्रणाली सूचना प्राप्त करने और चालान विवरणों के ऑनलाइन अपलोड करने के माध्यम से बैंक के माध्यम से करों के भुगतान के अभिलेखों को बनाए रखने की आईटीडी की एक पहल है। सीआईएन (चालान पहचान संख्या) की सहायता से, प्रत्येक भुगतान की आईटीडी के लिए बैंको द्वारा कर भुगतान के विवरणों के ऑनलाइन संचरण को सक्षम करने की विशिष्ट रूप से पहचान की जाएगी। करदाता टीआईएन (कर सूचना नेटवर्क) के माध्यम से अपने चालानों की स्थिति के विषय में पूछताछ कर सकते हैं, एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) द्वारा यह स्थापित किया गया है।
- **“स्थाई खाता संख्या” (पैन):** पैन अंक आईटीडी द्वारा लेमिनेटिड कार्ड के रूप में निर्गत की गयी एक दस अंक वाली अक्षरांकीय संख्या है यह करदाताओं के लिए राष्ट्रीय पहचान संख्या भी जिसे आयकर रिटर्न में और विभाग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाता है।
- **“कर सूचना नेटवर्क” (टीआईएन):** टीआईएन, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा स्थापित की गयी, राष्ट्रव्यापी कर से संबंधित सूचना का संग्रह है।
- **“टीआईएन-एफसी”:** टीआईएन-सुविधा केन्द्र टीआईएन आवेदक से फार्म 49बी फार्म में नए टीआईएन के आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त करता है, और ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न और कटौतीकर्ताओं/संग्राहकों द्वारा टीडीएस/टीसीएस रिटर्न (कागज प्रारूप में) और टीआईएन केन्द्रीय प्रणाली के लिए उन्हें अपलोड किया जाता है।
- **“कर कटौती/संग्रहण खाता संख्या” (टैन):** टैन आईटीडी द्वारा निर्गत एक 10 अंको की अक्षरांकीय संख्या है। यह टीडीएस की कटौती के लिए उत्तरदायी है और जो टीसीएस एकत्र करने के लिए आवश्यक है, सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- **“क्षेत्रीय खाता संख्या” (जेडएओ):** 52 जेडएओ, प्रधान मुख्य खाता संग्रहण के अधिकार क्षेत्र के अधीन (प्रधान सीसीए) और क्षेत्रीय स्तर पर मासिक आधार पर व्यय और राजस्व (प्रत्यक्ष कर) का लेखाकरण करने के लिए उत्तरदायी है। पोस्ट ओएलटीएएस परिदृश्य में जेडएओज अधिकृत बैंकों के नोडल शाखाओं से उनके कार्यालय में प्राप्त एकल चालान प्रति के एकमात्र संग्राहक बन गए हैं।
- **“फाइल वैधता उपयोगिता” (एफवीयू):** ई-टीडीएस/टीसीएस एफवीयू एक जावा आधारित उपयोगिता है जहां ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न विव 2007-8 के लिए तैयार किया गया है और आगे भी (अर्थात् फार्मस 24 क्यू, 26 क्यू, 27 क्यू और 27 इक्यू) वैध किया जा सकता है।

- **“फार्म 27 अ”:** फार्म 27 अ फार्म 24 क्यू, फार्म 26 क्यू, और फार्म 27 क्यू में तिमाही टीडीएस रिटर्न के साथ जमा किया जाता है। 27अ फार्म कटौतीकर्ता/संग्रहणकर्ता और कुल कर कटौती/संग्रहण की समस्त राशि और कटौती किये गये और पार्टी अभिलेखों की कुल संख्या के संबंध में कुल कर जमा (या कुल चालान राशि) के ब्यौरे के साथ एक सरल फार्म है।
- **“फार्म 26एस”:** फार्म 26एस वार्षिक विवरण है जिसमें कर क्रेडिट के विवरण आयकर विभाग के डेटाबेस के अनुसार प्रत्येक करदाता के लिए तैयार किये गये थे। फार्म 26एस करदाता के पैर के संबंध में कर क्रेडिट को प्रकट करेगी।
- **“वेव-1”:** वेव-1 प्रक्रिया है जिसमें चालान के मिलान, पैर वैधता, फार्म 26 एस, फार्म 16,16ए डाउनलोड और समेकित फाइल के लिए प्रसारित किया जाता है।
- **“वेव-2”:** वेव-2 एक प्रक्रिया है जिसमें विवरण अन्तिम रूप से प्रसारित किये जाते हैं।
- **“ट्रेसिस”:** ट्रेसिस टीडीएस पुन-समन्वय, विश्लेषण और सुधार को सक्षम करने की प्रणाली है। यह आईटीडी की एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो टीडीएस प्रशासन के साथ संबंध सभी हितधारकों के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। यह चालान स्थिति, एनएसडीएल कोनसी फाइल की डाउनलोडिंग, रिपोर्ट औचित्य और फार्म 16/16ए के साथ-साथ वार्षिक कर क्रेडिट विवरण के अवलोकन को ध्यान में रखने में सक्षम हैं।

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in